रजिस्ट्री सं० डी०—(डी एन)—128

REGISTERED NO. D—(DN)—128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 24, 1987 (कार्तिक 2, 1909)

No 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 24, 1987 (KARTIKA 2, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचना सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications Including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

कार्मिक (औद्योगिक संबंध नीति) विभाग

बम्बई-400021, दिनांक 5 अक्तूबर 1987

सं० केका०/कार्मिक/औसंनी/87/1876 सा० का नि०—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधि-नियम 1970 (1970 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमान से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा विनियमों 1979 में और आगे संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का नाम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 1979 होगा ।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. संशोधनों का विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है ।

वी० वी० कुलकर्णी,
महाप्रबंधक

अनुलग्नक "1"

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979

5. वेतनवृद्धियां

विनियम 4 में विहित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतन-वृद्धि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर प्रोदभूत होगी और उस महीने के प्रथम दिवस को स्वीकृत की जाएगी जिसमें वह देय होती है ।

(1) 1-1-85 से प्रावधान यह है कि कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I और मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II और III के उन अधिकारियों को जो अपने वेतनमान के अधिकतम

पर पहुंच जाते हैं, संशोधित वेतनमानों में अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात सेवा के प्रत्येक पांच पूरे हुए वर्षों के लिए अन्तिम वेतन वृद्धि के बराबर की गत्यारोध वेतन-वृद्धियां मंजूर की जाएगी जो कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I के लिए अधिकतम दो ऐसी वेतनवृद्धियों और मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल II और III के अधिकारियों के लिए एक ऐसी वेतनवृद्धि के अध्यधीन होगी ।

उन अधिकारियों के मामले में, जिन्होंने अपने अपने वेतनमानों के अधिकतम पर सेवा के 5 वर्ष से अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं, प्रथम ऐसी गत्यारोध वेतनवृद्धि उस तारीख से जिसको वह देय होती है, अथवा 1 जनवरी 1985 से, इनमें से जो बाद में हो, मंजूर की जाएगी लेकिन द्वितीय ऐसी वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 1987 के पश्चात उनको दी जाएगी जो पात्र हैं ।

(2) एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि सी० ए० आई० आई० बी० परीक्षा का प्रत्येक पार्ट पास करने पर वेतनमान में मंजूर की जाएगी ।

परंतुक यह है कि उन अधिकारियों को जो अपने वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंच चुके हैं, रु० 100/- का व्यावसायिक अर्हता भत्ता सी०ए०आई०आई०बी० परीक्षा का पार्ट I पास करने के लिए उस समय के पश्चात मंजूर किया जाएगा जब वे वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष पूरा करते हैं और सी०ए०आई० आई०बी० परीक्षा के दोनों पार्ट पास करने के लिए रु० 200/- का यह भत्ता उस समय के बाद मंजूर किया जाएगा जब वे वेतनमान के अधिकतम पर 2 वर्ष पूरे कर लेते हैं ।

22. मकान किराया भत्ता

(2) 1-2-1984 से जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा रिहायशी आवास मुहैया नहीं कराया जाता है तो वहां वह अपने रिहायशी आवास के लिए उस वेतनमान जिसमें उसे रखा जाता है, की प्रथम अवस्था में वेतन के 10% से ऊपर उसके द्वारा अदा किए गए वास्तविक किराए से अधिक के बराबर की राशि के मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा । इस प्रकार की राशि निम्नलिखित दर के अधीन है :

जहां काम का स्थान निम्नलिखित में है	मकान किराया निम्नानुसार देय होगा
1	2
(i) सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक बोर्ड द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट बड़े "ए" क्लास शहर और ग्रुप "ए" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	अधिकतम रु० 500/- प्रति माह के अध्यधीन मूल वेतन का 17½%
(ii) उपरोक्त मद (i) द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्र I और ग्रुप "बी" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	अधिकतम रु० 400/- प्रति माह के अध्यधीन मूल वेतन का 15%
(iii) क्षेत्र II और उपरोक्त I और II द्वारा शामिल न की गयी राज्यों की राजधानियां और संघ शासित प्रदेशों की राजधानियां	अधिकतम रु० 300/- प्रति माह के अध्यधीन मूल वेतन का 12½%
(iv) क्षेत्र III	अधिकतम रु० 250/- प्रति माह के अध्यधीन मूल वेतन का 10%

नोट :—इस अवस्था को छोड़कर कि कोई अधिकारी निम्नलिखित अधिकतम के अध्यधीन उपरोक्त दरों पर प्रमाणपत्र के आधार पर मकान किराए भत्ते का दावा कर सकता है, उपरोक्तानुसार मकान किराया भत्ता किराए की रसीदें प्रस्तुत करने पर ही अदा किया जाएगा :

बड़े "ए" क्लास शहर और ग्रुप "ए" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	अधिकतम रु० 275/-
क्षेत्र I में अन्य स्थान और ग्रुप "बी" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	अधिकतम रु० 225/-
क्षेत्र II और राज्य राजधानियां और संघ शासित प्रदेशों की राजधानियां	अधिकतम रु० 165/-
क्षेत्र III	रु० 110/- (निश्चित)

23. अन्य भत्ते

(IV) मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानान्तरण भत्ता

1-1-1987 से, यदि कोई अधिकारी किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है और यदि उसके पहले के स्थान में, स्कूल अथवा कालेज में पढ़ने वाले एक अथवा अधिक बच्चे हैं तो उसे सभी बच्चों के बारे में उसके बाद के स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से शैक्षणिक वर्ग की समाप्ति तक रु० 150/- प्रति माह का मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानान्तरण भत्ता दिया जाएगा परन्तु ऐसा भत्ता उस अवस्था में रोक दिया जाएगा यदि सभी बच्चे पहले के स्थान में पढ़ने से रुक जाएं ।

(vi) स्थानापन्न भत्ता

1.1.1985 से, यदि वह एक ही समय 7 दिनों की सतत अवधि अथवा एक कलेन्डर महीने में कुल 7 दिनों के लिए किसी उच्चतर वेतनमान के पद में स्थानापन्न करने के लिए अपेक्षित हो तो वह उस अवधि के लिए, जिसके लिए वह स्थानापन्न करता है, अधिकतम रु० 250/-प्रति माह के अध्यधीन अपने वेतन के 10% के बराबर का

स्थानापन्न भत्ता प्राप्त करेगा। स्थानापन्न भत्ते को भविष्य निधि प्रयोजनों के लिए, न कि अन्य प्रयोजनों के लिए, वेतन के रूप में माना जायेगा।

परन्तु जहां कोई अधिकारी महज विनियम 6 के तहत पदों के प्रवर्गीकरण की समीक्षा के फलस्वरूप किसी उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न करने आता है तो वह उस तारीख से, जिसको प्रवर्गीकरण की समीक्षा लागू होती है, एक वर्ष तक के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

(x) पर्वतीय एवं ईंधन भत्ता

यदि कोई अधिकारी नीचे दी गयी तालिका के कॉलम में बतायें गए किसी स्थान में सेवा कर रहा है, उस स्थान के सामने उसके कालम 2 में बतायी गयी दर पर पर्वतीय स्थल एवं ईंधन भत्ता दिया जायेगा।

स्थान (1)	दर (2)
समुद तल से 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित कार्यालय	अधिकतम रु० 130/– प्रतिमाह के अध्यधीन वेतन का 10%
समुद तल से 1000 मीटर से अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित कार्यालय	अधिकतम रु० 100/– प्रति माह अध्यधीन वेतन का 8%

24. चिकित्सा-सहायता

(1)(ख)(v) 1-1-1987 से, निम्नलिखित बीमारियों के संबन्ध में किये गए चिकित्सा व्यय जिसमें घरेलू इलाज की आवश्यकता हो, जैसा कि मान्य अस्पताल के प्राधिकारियों एवं बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, को अस्पताल में भर्ती होने के व्यय माना जायगा तथा अधिकारी की दशा में 75% और उसके परिवार के सदस्यों की दशा में 50% की सीमा तक प्रतिपूर्ति किये जायेंगे।

केन्सर, टयूबरक्यूलोसिस, पेरालाइसिस, कार्डियक ऐलमेन्ट, टयूमर, स्माल पाक्स, टयूरिशी, डिप्थीरिया, लेपेरोसी, किडनी ऐलमेंट।

स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि

(2) (ii) 1.1.1987 से, यदि पूरी वैगन के लिए पात्र कोई अधिकारी रेलवे की "कन्टेनर सेवा" की सुविधा का लाभ उठाता है तो उसे उस अवस्था में एक कन्टनर के वास्तविक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जायेगी यदि वह कनिष्ठ और मध्यम प्रबंधन ग्रेड में है, और यदि वह वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन ग्रेड में है तो दो कन्टेनरों के प्रभारों की, यदि सामान रेल से जुड़े हुए स्थानों के बीच में सड़क द्वारा ले जाया जाता है, तो माल गाड़ी द्वारा स्वीकार्य अधिकतम प्रभाव्य के परिवहन की लागत से अनधिक लागत के अध्यधीन बिलों के प्रस्तुतीकरण के निमित्त वास्तविक किराया प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जायगी। यदि नैनाती के पुराने अथवा नये स्थान पर कोई रेलवे स्टेशन अथवा आऊट एजेन्सी न हो तो अधिकारी को निकटतम रेलवे स्टेशन अथवा रेलवे आउट एजेन्सी तक रोड़ द्वारा सामान ले जाने की वास्तविक लागत अदा की जायेगी। यदि दोनों स्थानों पर रेलवे स्टेशन/आऊट एजेन्सी न हो तो अधिकारी को अनुमोदित परिवहन प्रचालकों द्वारा अनुबन्धित भारों तक रोड़ द्वारा सामान ले जाने के वास्तविक प्रभार दिए जायेंगे।"

(4) 1.1.1987 से, "स्थानान्तरण होने वाला अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन सामान को बीमे से संबद्ध व्ययों के लिए नीचे बतायी गयी एक मुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र होगा।

ग्रेड	एक मुश्त राशि
शीर्ष प्रबंधन और वरिष्ठ प्रबंधन	रु० 1500/–
मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	रु० 1000/–

छुट्टी यात्रा रियायत

(ii) 1.1.1987 से, "प्रत्येक चार वर्षों में एक बार जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत लेता है तो उसे एक समय में अधिक से अधिक एक महीने की अपनी विशेषाधिकार छुट्टी समर्पित करने और भुनाने की अनुज्ञा दी जायेगी। छुट्टी नकदीकरण के प्रयोजन के लिए उस महीने के लिए संदेय कुल परिलब्धियां स्वीकार्य होंगी जिसमें छुट्टी यात्रा रियायत लेना आरम्भ होता है।

परन्तु किसी अधिकारी को उसके विकल्प पर प्रधान मंत्री राहत निधि में संदान करने के लिए एक दिन की अतिरिक्त विशेषाधिकार छुट्टी भुनाने की अनुज्ञा दी जायगी लेकिन इसके लिए उस बैंक को इस आशय का एक पत्र लिखकर देना होगा और इस निधि को राशि भजने के लिए बैंक को प्राधिकृत करना होगा।

दी इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स

एकाउन्टेन्टस आफ इन्डिया

कलकत्ता, दिनांक 21 अगस्त 1987

18-सी० डबल्यू० आर० (159)/87—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इन्डिया के परिषद् ने कहे हुए रेग्युलेशन्स के विनियम

17 द्वारा दिये गये-अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री टी० एस० बाला-कृष्णमन, "सत्यम" 12/161, गारोडिया नगर, घटकापार इस्ट, बम्बई-400 077 (सदस्यता संख्या 629) के नाम को 5 अगस्त 1987 से सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया ।

डी० सी० भट्टाचार्या,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 1987

सं० एन : 15/13/13/7/82—यो० एवं० नि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-10-87 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे ।

अर्थात्

"जिला बुलन्द शहर में परगना तथा तहसील, सिकन्दराबाद के राजस्व ग्राम सिकन्दराबाद, तिललुगमपुर जोकाबाद गोपाल पुर, मण्डीश्याम नगर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

सं० एन: 15/13/4/1/85-यो० एवं० नि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-10-1987 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1977 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हिमाचल प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में सीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे ।

अर्थात्

राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र	हद बस्त नं०	तहसील	जिला
1	2	3	4
1. बरौतीवाला	196	कसौली	सोलन
2. बेंटोड़	200	कसौली	सोलन
3. बुरनवाला	201	कसौली	सोलन
4. दामोवाला	197	कसौली	सोलन
5. टिपरा	195	कसौली	सोलन
6. कुलहरीवाला	193	कसौली	सोलन
7. क्षारमजरी	215	नालागढ़	सोलन
8. कुन्नाल	216	नालागढ़	सोलन
9. कटहा	211	नालागढ़	सोलन
10. बादी इण्डस्ट्रियल स्टेट	204	नालागढ़	सोलन
11. सूरज माजरा गुजरान	208	नालागढ़	सोलन
12. सूरज माजरा/लबाना	205	नालागढ़	सोलन
13. बिल्लानवाली लबाना	207	नालागढ़	सोलन
14. हरीपुर संदौली	206	नालागढ़	सोलन
15. संदौली	199	नालागढ़	सोलन
16. बिल्लानवाली गुजरान	198	नालागढ़	सोलन
17. जुडडी खुर्द	209	नालागढ़	सोलन
18. जुडडी कलान	210	नालागढ़	सोलन
19. चाकजंगी	203	नालागढ़	सोलन
20. लण्डेवाल	202	नालागढ़	सोलन
21. कल्याणपुर	201	नालागढ़	सोलन

हर भजन सिंह,
निदेशक (यो० एवं० वि०)

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तबर 1987

सूचना

सं० 25/35/87-एल आई—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है । निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है । सर्वसाधारण को

चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्र० सं०	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं का नाम	राशि (रु०)
1.	315476-सी	12-9-80	श्री कैलाश चन्द्र टाटुका	10,000/-
2.	503018-सी	4-8-80	श्रीमती मीना झा	10,000/-

सं० 25-4/87-एल आई—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्र० सं०	पालिसी सं०	दिनांक	बीमाकर्त्ता का नाम	राशि (रुपये)
1.	187865-पी	1-10-71	श्री अमर जीत सिंह बालिया	5,000/-

सं० 25-42/87-एल आई—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्र० सं०	पालिसी सं०	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं का नाम	राशि (रुपये)
1.	344489-पी हए-/58	10-6-78	श्री बिरेन्द्र नाथ सिन्हा राय	10,000/-
2.	271203सी हए/58	4-1-80	श्री मिहिर कुमार बन्धोपाध्याय	20,000/-

सं० 25-16/86-एल आई—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्र० सं०	पालिसी सं०	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं का नाम	राशि (रुपये)
1.	290788-पी	1-9-76	श्री धरमवीर	5,000/-

सं० 25/1/87-एल आई—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्र० सं०	पालिसी सं०	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं का मनाम	राशि (रुपये)
1.	61645-एन एम	30-4-82	श्री महेश चन्द	5000/-

दिनांक 9 अक्तूबर 1987

सूचना

स० 25/2/87—एल० आई—विभाग का अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्र सं०	पालिसी	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं का नाम	राशि रुपए
1.	334566—पी	1-4-78	श्री दर्शनकुमार	5,000/-
2.	541228—सी	13-10-84	श्री जगदीश चन्द्र डोगर	30,000/-

सं० 25-10/86-एल० आई०—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि के मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्रम सं०	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं के नाम	राशि (रुपए)
1.	62943—एन एम	30-4-82	श्री के० नैनर	5,000/-

सं 25/7/87-एल आई—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन देन न करें।

क्रम सं	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं का नाम	राशि (रुपए)
1.	428603—पी	23 12-80	श्री बी० के० कृष्णदू	10,000/-

सं० 25-25/87-एल आई—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्र सं०	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं का नाम	राशि (रुपए)
1.	एल—135561		श्री एम० बूज मोहन सिंह	5,000/-

सं० 25-45/87-एल० आई—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्र०	संख्या पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं का नाम	राशि (रुपए)
1.	337799—सी	12-2-87	श्री रविन्द्रा कुमार पटनायक	30,000/-

सं० 25-14/87-एल० आई-विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्र सं०	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं का नाम	राशि रुपए
1.	146999—पी	2-4-69	श्री डी० नागराजा	2,000/-
2.	391345—सी	5-12-81	श्री बी० पी० गोविन्दैया	10,000/-

सं० 19-106/86-एल० आई—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न कर।

क्र सं०	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं का नाम	राशि रुपए
1.	129832—सी	7-6-71	श्री मोहिन्द्र प्रताप राना	5,000/-

ज्योत्सना धीश,
निदेशक,
(पी एल आई)

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण

बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1987

सं० 21/(19)/बो० आई० एफ० आर/87—राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलैक्शन ग्रेड के स्थाई अधिकारी तथा आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग प्रभाग के निदेशक श्री ए० सी० सेनगुप्त को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में 27 फरवरी, 1987 के अपराह्न से अगला आदेश जारी होने तक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम० सी० त्रिपाठी,
सचिव

इंडियन एयरलाइन्स

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1987

सं० स० फिन/रूल्ज/37/1845—वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इंडियन एयरलाइन्स (उड़ान कर्मीदल और विमान इंजीनियरी विभाग के कर्मचारियों के अलावा कर्मचारी) सेवा विनियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) ये विनियम इंडियन एयरलाइन्स (उड़ान कर्मीदल और विमान इंजीनियरी विभाग के कर्मचारियों के अलावा कर्मचारी) सेवा विनियम, 1987 कहलाएंगे।

(2) ये 1 जुलाई, 1986 से लागू होंगे।

(3) इंडियन एयरलाइन्स (उड़ान कर्मीदल और विमान इंजीनियरी विभाग के कर्मचारियों के अलावा कर्मचारी) सेवा विनियम, 1959 में ;

(i) वर्ष 1977 में संशोधित विनियम 122 को फिर से संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :—

122. प्रिविलेज छुट्टी :—प्रत्येक ग्यारह महीने की सेवा अवधि के बाद, प्रत्येक कर्मचारी 30 दिनों की प्रिविलेज छुट्टी का अधिकारी होगा। यह छुट्टी 240 दिनों तक के लिए संग्रहीत की जा सकती है।

(ii) वर्ष, 1977 में संशोधित विनियम 124 को फिर से संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :—

124. इस प्रकार गणना करके आगे ले जाई जाने वाली छुट्टियों को 240 दिनों तक ही सीमित रखा जाएगा और बाकी बची छुट्टियों को व्यय-गत समझा जाएगा बशर्ते कि कर्मचारी ग्यारह महीने की अवधि बीतने से पहले छुट्टी को स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र दे देता है और वह आवेदन अस्वीकृत हो जाता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी को उपरोक्त रूप से निर्धारित कुल छुट्टी की अगली छुट्टी की अवधि तक आगे ले जाने का अधिकार दिया जाएगा परन्तु 240 दिनों से अधिक आगे ले जाई जाने वाली प्रिविलेज छुट्टी के दिनों की संख्या उस कर्मचारी द्वारा आवेदित छुट्टी से जो कार्पोरेशन के कार्य की अनिवार्यता के कारण लिखित रूप से अस्वीकृत कर दी गई हो, अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) वर्ष 1980 में संशोधित विनियम 153 की धारा (2) की उपधारा (क) को निम्न संशोधित रूप से पढ़ा जाए :—

(क) कर्मचारी जो छुट्टी के वेतन के बदले नकद भुगतान पाने का हकदार है वह दो सौ चालीस दिनों की अवधि तक ही सीमित होगा, इसका भुगतान एक मुश्त राशि में एक ही समय में निपटान के रूप में होगा।

सं० सं० फिन/रूल्ज/37/1845—वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इंडियन एयरलाइन्स कर्मचारी और (विमान इंजीनियरी विभाग) सेवा विनियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) ये विनियम इंडियन एयरलाइन्स कर्मचारी और (विमान इंजीनियरी विभाग) सेवा विनियम, 1987 कहलाएंगे।

(2) ये 1 जुलाई, 1986 से लागू होंगे।

(3) इंडियन एयरलाइन्स कर्मचारी और (विमान इंजीनियरी विभाग) सेवा विनियम 1959 में :

(i) वर्ष 1977 में संशोधित विनियम 122 को फिर से संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :—

122. प्रिविलेज छुट्टी :—प्रत्येक ग्यारह महीने की सेवा अवधि के बाद, प्रत्येक कर्मचारी 30 दिनों की प्रिविलेज छुट्टी का अधिकारी होगा। यह छुट्टी 240 दिनों तक के लिए संग्रहीत की जा सकती है।

(ii) वर्ष 1977 में संशोधित विनियम 124 को फिर से संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :—

124. इस प्रकार गणना करके आगे ले जाई जाने वाली छुट्टियों को 240 दिनों तक ही सीमित रखा जाएगा और बाकी बची छुट्टियों को व्ययगत समझा जाएगा बशर्ते कि कर्मचारी ग्यारह महीने की अवधि बीतने से पहले छुट्टी को स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र दे देता है और वह आवेदन अस्वीकृत हो जाता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी को उपरोक्त रूप से निर्धारित कुल छुट्टी की अगली छुट्टी की अवधि तक आगे ले जाने का अधिकार दिया जाएगा परन्तु 240 दिनों से अधिक आगे ले जाई जाने वाली प्रिविलेज छुट्टी के दिनों की संख्या उस कर्मचारी द्वारा आवेदित छुट्टी से जो कार्पोरेशन के कार्य की अनिवार्यता के कारण लिखित रूप से अस्वीकृत कर दी गई हो, अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) वर्ष 1980 में संशोधित विनियम 153 की धारा (2) की उपधारा (क) को निम्न संशोधित रूप से पढ़ा जाए :—

(क) कर्मचारी जो छुट्टी के वेतन के बदले नकद भुगतान पाने का हकदार है, वह दो सौ चालीस दिनों की अवधि तक ही सीमित होगा, इसका भुगतान एक मुश्त राशि में एक ही समय में निपटान के रूप में होगा।

सं० स० फिन/रूल्ज/37/1845—वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 45 की उप धारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इंडियन एयरलाइन्स (उड़ान कर्मीदल) सेवा विनियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) ये विनियम इंडियन एयरलाइन्स (उड़ान कर्मीदल) सेवा (संशोधन) विनियम, 1987 कहलाएंगे।

(2) ये 1 जुलाई, 1986 से लागू होंगे।

(3) इंडियन एयरलाइन्स (उड़ान कर्मीदल) सेवा विनियम, 1959 में :

(i) वर्ष 1977 में संशोधित विनियम 122 को फिर से संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाये :—

"122. प्रिविलेज छुट्टी : प्रत्येक ग्यारह महीने की सेवा अवधि के बाद, प्रत्येक कर्मचारी 30 दिनों की प्रिविलेज छुट्टी का अधिकारी होगा। यह छुट्टी 240 दिनों तक के लिए संग्रहीत की जा सकती है।

(ii) वर्ष 1977 में संशोधित विनियम 124 को फिर से संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाये :—

124. इस प्रकार गणना करके आगे ले जाई जाने वाली छुट्टियों को 240 दिनों तक ही सीमित रखा जाएगा और बाकी बची छुट्टियों को व्ययगत समझा जाएगा बशर्ते कि कर्मचारी ग्यारह महीने की अवधि बीतने से पहले छुट्टी को स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र दे देता है और वह आवेदन अस्वीकृत हो जाता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी को उपरोक्त रूप से निर्धारित कुल छुट्टी को अगली छुट्टी की अवधि तक आगे ले जाने का अधिकार दिया जाएगा परन्तु 240 दिनों से अधिक आगे ले जाई जाने वाली प्रिविलेज छुट्टी के दिनों की संख्या उस कर्मचारी द्वारा आवेदित छुट्टी से जो कार्पोरेशन के कार्य की अनिवार्यता के कारण लिखित रूप से अस्वीकृत कर दी गई हो, अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) वर्ष 1980 में संशोधित विनियम 153 की धारा (2) की उप धारा (क) को निम्न संशोधित रूप से पढ़ा जाए :—

(क) कर्मचारी जो छुट्टी के वेतन के बदले नकद भुगतान पाने का हकदार है वह दो सौ चालीस दिनों की अवधि तक ही सीमित होगा, इसका भुगतान एक मुश्त राशि में एक ही समय में निपटान के रूप में होगा।

दया नारायण,
सचिव

दिल्ली विश्वविद्यालय

वार्षिक लेखा, वर्ष 1985-86

दिल्ली विश्वविद्यालय का तुलन-पत्र 31-3-86 को

विवरण-पत्र सं० 1

31-3-85 को	निधियां तथा देयताएं	31-3-1986 को	31-3-1985	परिसंपत्तियां	31-3-1986 को
1	2	3	1	2	3
रुपए		रुपए	रुपए		रुपए
27,31,15,887	1. अनुदान	33,42,33,415	9,10,81,681	1. भवन	10,04,04,777
45,93,747	2. उपहार तथा दान	46,10,147	67,01,161	2. भूमि	71,93,810
12,06,27,032	3. भविष्य निधि लेखा	13,89,45,204	7,68,05,309	3. फर्नीचर तथा उपस्कर	11,45,79,724
37,57,856	4. मूल्य ह्रास और आरक्षित निधि	42,23,229	10,55,654	4. वाहन	12,88,714
1,52,101	5. प्रकाशन निधि लेखा	1,61,553	1,07,94,765	5. वैज्ञानिक उपकरण	1,20,31,732
6,80,406	6. कुलपति का छात्र-निधि लेखा	8,49,410	7,81,88,814	6. पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाए	8,78,46,492
80,75,451	7. कम्प्यूटर सेंटर 360/441	77,53,847	76,065	7. खेलकूद का सामान तथा ट्राफियां	77,901
1,43,47,625	8. बन्दोबस्त निधि लेखा	1,45,79,282	7,11,462	8. प्राप्य राशि	6,73,420
4,10,975	9. वाहन-ऋण निधि लेखा	4,16,521		9. भविष्य निधियां	
1,57,125	10. अतिथि गृह	1,79,213	11,26,09,929	(क) निवेश	11,74,23,929
71,895	11. ढका गांव में भूमि का रखरखाव	52,015	69,50,855	(ख) निवेशों पर प्राप्य ब्याज	1,76,73,175
2,18,92,158	12. गृह-निर्माण ऋण निधि लेखा	3,20,59,314		10. अन्य निवेश	
1,39,953	13. प्रकाशन परिक्रामी निधि लेखा	1,56,342	16,80,000	(क) मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि	16,80,000
2,05,236	14. रायल्टी (अंग्रेजी विभाग) लेखा	2,33,254	1,01,000	(ख) प्रकाशन निधि	1,01,000
1,09,028	15. "ओरिएंटल इन्सेक्ट्स" का प्रकाशन लेखा	1,24,238	3,80,500	(ग) कुलपति की छात्र-निधि	3,80,500
5,64,275	16. हिंदी माध्यम कार्यालय निदेशालय लेखा	8,50,058	1,24,63,020	(घ) बंदोबस्ती निधियां	96,34,970
			89,817	(ङ) समाज-कार्य विभाग	89,817
	देयताएं		18,47,100	(च) विज्ञान अवधान राशि तथा पुस्तकालय जमा	18,67,100
			69,70,000	(छ) कम्प्यूटर केन्द्र 360/44	43,70,000
47,27,061	1. (क) व्यय से आय का आधिक्य	15,99,893	1,55,000	(ज) रायल्टी (अंग्रेजी विभाग) लेखा	2,05,000
93 00,000	(ख) पेशगी प्राप्त हुआ अनुरक्षण अनुदान	1,00,33,000	70,00,000	(झ) योजनागत विकास लेखा	73,67,500
			75,000	(ञ) प्रकाशन पारिक्रामी निधि लेखा	75,000

1	2	3	1	2	3
19,51,092	2. विज्ञान अवधान राशि का जमा लेखा तथा पुस्तकालय जमा राशि	22,44,161	40,00,000	(ट) स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण लेखा	—
			1,00,000	(ठ) "ओरिएंटल इन्सेक्ट्स" पत्रिका के प्रकाशन का लेखा	1,00,000
9,35,012	3. ठेकेदार की जमानत का जमा लेखा	11,59,729			
15,83,950	4. छात्रवृत्तियों का जमा लेखा	34,02,859	3,00,000	(ड) हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय लेखा	7,50,000
72,27,610	5. अनुसंधान योजनाओं का जमा लेखा	69,44,361			
3,65,209	6. ग्रीष्म संस्थान, संगोष्ठियां, कार्यशालाओं गोष्ठियां इत्यादि का जमा लेखा	8,96,868		11. पेशगियां तथा ऋण	
			52,875	(क) स्थायी पेशगी	58,875
2,43,56,870	7. अन्य जमा लेखा	20,35,556	1,61,224	(ख) अन्य पेशगियां	4,01,656
5,58,488	8. देय राशि	12,51,825	65,000	(ग) विश्वविद्यालय प्रैस का ऋण	65,000
020	9. पुस्तक बैंक (शिक्षा विभाग)	020	3,12,718	(घ) वाहन ऋण	3,79,411
6,38,814	10. रा० से० यो० लेखा (समाज-कार्य विभाग)	10,75,860	1,74,86,436	(ङ) गृह निर्माण ऋण	2,29,37,010
3,02,704	11. उचत खाता	—	6,67,98,842	12. बैंकों में रोकड़	6,38,72,065
67,442	12. प्रौढ़ तथा अनुवर्ती शिक्षा लेखा	3,23,617	16,46,000	13. विश्वविद्यालय प्रेस	17,86,000
57,50,000	13. गृह कर लेखा	47,24,109	4,795	14. समाज कार्य विभाग डसू के पास जमानत	4,795
—	14. सामूहिक बीमा योजना लेखा	10,423			
50,66,65,022	जोड़	57,53,19,373	50,66,65,022	जोड़	57,53,19,373

लेखों पर टिप्पणियां

परिसम्पत्ति क्रमांक 11(बी) अन्य पेशगियां

इस राशि में निम्नलिखित पेशगियां शामिल नहीं की गई थीं जिन्हें संबंधित लेखे के अन्तिम रूप से बनाए गए मद के अन्तर्गत ले लिया गया था। इन पेशगियों का समायोजन, पेशगियों के रजिस्टरों के लिए किया जाता है और 31-3-1986 का समायोजित की जाने वाली पेशगियों की स्थिति भी श्रेणीवार दी गई है:

श्रेणी	पिछले वर्षों में रु०	पेशगियां दी गई 1983-84 में रु०	1984-85 में रु०	1985-86 में रु०	जोड़ रु०
1. भवन	4,43,457	7,12,600	32,809	7,99,850	19,88,716
2. फर्नीचर तथा उपस्कर	800	6,04,421	32,75,390	71,54,902	1,10,35,513
3. वैज्ञानिक उपकरण	3,390	19,878	97,252	1,09,664	2,30,184
4. पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएं	—	—	19,051	3,126	22,177
5. वाहन	—	—	—	—	—
6. अनुसंधान योजनाएं संगोष्ठियां तथा अनुसंधानवृत्तियां	11,43,340	12,72,945	17,27,152	27,58,239	69,01,675
7. अन्य पेशगियां जिन्हें संबंधित वर्ष के आय तथा व्यय लेखों में लिख लिया गया है	3,08,219	1,90,145	2,78,584	20,36,423	28,13,372
जोड़	18,99,206	27,99,989	54,30,238	1,28,62,204	2,29,91,637

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय को मिले अनुदान का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया गया है जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था और दिया गया था।

(पी० एम० सैन)
उपवित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007

(इन्द्रपाल सिंह)
वित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007

(जी० एन० पाठक)
कोषाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007

विवरिण सं० 2

दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्ष 1985–86 का आय तथा व्यय लेखा

31-3-1985 को रु० पै०	आय	31-3-1986 को रु० पै०
	I. गैर योजनागत लेखा	
	(क) आरक्षण अनुदान लेखा	
8,79,56,962.63	1. पूंजीकृत व्यय को छोड़कर दिया गया अनुदान	10,23,06,039.63
1,00,75,451.15	2. छात्रों से प्राप्त शुल्क	1,05,94,362.80
2,41,553.55	3. स्वास्थ्य केन्द्र अंशदान	1,91,742.90
1,41,650.60	4. प्रकाशनों की बिक्री	84,299.51
40,919.70	5. रेप्रोग्राफिक खर्चे	28,697.84
11,278.20	6. ग्राफिक आर्ट्स सेंटर	5,648.00
12,57,127.46	7. लाइसेंस शुल्क, बिजली, पानी के खर्चे इत्यादि	12,22,598.45
	8. विविध	
6,20,870.43	(क) ब्याज	8,14,814.54
6,88,213.28	(ख) अन्य मदें	11,74,214.26
10,10,34,027.00	जोड़-I	11,64,22,417.93
	II. योजनागत विकास लेखा	
	अनावर्ती अनुदानों को छोड़कर दिया गया अनुदान	
13,37,130.86	(क) पांचवीं योजना की स्कीमें (दक्षिण दिल्ली परिसर को शामिल करके)	3,12,912.90
7,48,923.72	(ख) छठी योजना की स्कीमें	6,80,000.00
19,11,227.61	(ग) पांचवी योजना के बचे हुए कार्यों को शामिल करके उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र	70,000.00
—	(घ) सातवीं योजना की स्कीमें	25,000.00
39,97,282.10	जोड़ (II)	10,87,912.90
10,50,31,309.19	जोड़ (I) तथा (II)	11,75,10,330.83
36,52,159.91	आय से व्यय का आधिक्य	39,64,024.22
10,86,83,469.10	कुल जोड़	12,14,74,355.05

दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्ष 1985-86 का आय तथा व्यय लेखा

वेतन तथा भत्ते 1984-85	अन्य खर्चे जिनमें 1984-85 में देय राशियां शामिल हैं	कुल व्यय	व्यय	वेतन तथा भत्ते 1985-86	अन्य प्रभार जिनमें 1985-86 में देय राशियां शामिल हैं	कुल व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
			I. गैर योजनागत व्यय			
			(क) अनुरक्षण अनुदान लेखा			
84,92,935.06	39,67,130.09	1,24,60,065.15	1. सामान्य प्रशासन	1,03,11,676.22	38,29 158.43	1,41,40,834.65
30,49,059.28	79,46,129.23	1,09,95,188.51	2. परीक्षा-नियंत्रक का कार्यालय	34,15,373.15	91,49,277.13	1,25 64 650.28
1,37,57,400.37	13,25,864.19	1,50 83,264.56	3. कला तथा समाज विज्ञान के संकाय	1,53,20,379.38	13,74,555.45	1,66,94,934.83
1,20,28,070.36	33,63,615.22	1,53,91,685.58	4. विज्ञान संकाय	1,44,11,497.75	31,22,960.16	1,75,34,457.91
40,73,739.89	2,01,603.41	42,75,343.30	5. विधि संकाय	44,19,216.48	1,58,557.35	45,77,773.83
8,22,904.20	72.25	8,22,976.45	6. संगीत तथा ललित कला संकाय	11,93,492.38	2,021.85	11,95,514.23
1,22,00,836.02	98,833.30	12,99,669.32	7. गणित संकाय	15,94,191.54	1,18,405.96	17,12,597.50
1,61,626.24	2,75,524.30	4,37,150.54	8. आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संकाय	1,50,373.80	4,27,600.54	5,77,974.34
14,27,734.00	1,79,676.06	16,07,410.06	9. प्रबन्ध अध्ययन संकाय	17,02,637.24	1,38,049.82	18,40,687.06
22,35,454.03	3,62,324.88	25,97,778.91	10. शिक्षा संकाय	23,98,226.66	3,20,150.94	27,18,377.60
25,41,809.64	9,74,833.53	35,16,643.17	11. दक्षिण दिल्ली परिसर	42,75,843.50	15,43,335.45	58,19,178.95
32,22,336.65	4,45,215.79	36,67,552.44	12. दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय तंत्र	50,83,312.55	6,83,787.04	57,67,099.59
2,50,793.51	24,522.32	2,75,315.83	13. हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय	3,03,788.59	21,890.85	3,25,679.44
4,29,088.08	37,15,425.59	41,44,513.59	14. छात्र-सुविधाएं	6,33,601.06	41,75,596.95	43,09,198.01
13,78,646.75	75,75,642.50	89,54,289.25	15. कर्मचारी हित योजनाएं तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेखा (सी० एण्ड आई०-263)	16,92,087.38	1,23,03,000.95	1,39,95,088.33
—	4,57,306.94	4,57,306.94	16. अनुदान तथा अंशदान	—	5,71,640.84	5,71,640.84
25,48,141.91	1,18,14,551.34	1,38,62,693.25	17. कार्यों का अनुरक्षण तथा मरम्मतें	33,83,911.00	77,53,031.67	1,11,36,942.67
6,70,938.21	—	6,70,938.21	18. अध्ययन अवकाश	5,52,244.75	—	5,52,244.75
4,61,485.37	14,47,482.38	19,08,967.75	19. कालेजेतर महिला-शिक्षा मंडल	5,76,930.96	11,23,958.11	17,00,889.07
63,140.25	33,612.52	96,752.77	20. ग्राफिक आर्ट्स केन्द्र	1,06,443.55	44,819.73	1,51,263.28
27,44,589.13	—	27,44,589.18	21. अतिरिक्त मंहगाई भत्तों के दिए जाने के फलस्वरूप वित्तीय भार	4,99,894.64	—	4,99,894.64
6,15,60,728.95	4,37,09,365.84	10,52,70,094.79	जोड़	7,20,25,122.58	4,68,61,799.22	11,88,86,921.80

(1)		(2)		(3)		(4)	(5)		(6)		(7)	
रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०		रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
						(II) योजनागत विकास						
						अनुदान लेखा						
7,17,055.25		23,958.58		7,41,013.83		(1) (क) पांचवीं योजना की स्कीमें जिनमें दक्षिण दिल्ली शामिल है	15,141.95		96,850.58		1,11,992.53	
5,88,515.51		8,17,038.61		14,05,554.12		(ख) छठी योजना की स्कीमें	4,04,290.29		8,08,336.97		12,12,627.26	
—		12,66,806.36		12,66,806.36		(ग) पांचवीं योजना के बचे हुए खर्चों को मिलाकर उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान केन्द्र	—		12,39,319.13		12,39,319.13	
						(घ) सातवीं योजना की स्कीमें	19,853.33		3,641.00		23,494.33	
13,05,570.76		21,07,803.55		34,13,374.31		जोड़ II	4,39,285.57		21,48,147.68		25,87,433.25	
6,28,66,299.71		4,58,17,169.39		10,86,83,469.10		जोड़ I और II	7,24,64,408.15		4,90,09,946.90		12,14,74,355.05	
—		—		—		व्यय से आय का आधिक्य	—		—		—	
6,28,66,299.71		4,58,17,169.39		10,86,83,469.10		कुल जोड़	—		—		12,14 74,355.05	

लेखों पर टिप्पणियां :

वर्ष 1985–86 के दौरान दिए गए खर्च में उन पेशगियों को भी शामिल किया गया है जिनका लेखे के अन्तिम रूप से तय किए गए मद में 31–3–1986 तक नीचे दी गई हद तक समायोजन करना है :

(1)	अवकाश यात्रा रियायत के रूप में कर्मचारियों को दी गई राशि	रु० 19,721.00
(2)	आनुषंगिक व्यय इत्यादि के निमित्त विभागों को दी गई राशि	रु० 20,16,702.03
	जोड़	20,36,423.03

(पी० एम० सेन)
उपवित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007.

(इन्दर पाल सिंह)
वित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007.

(जी० एन० पाठक)
कोषाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007.

विवरण —पत्र सं० 3

दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्ष 1985-86 के दौरान प्राप्तियों तथा अदायगियों का सार

क्रमांक	लेखे का नाम	प्राप्तियां		अदायगियां	
1.	गैर योजनागत लेखा	रु०	पै०	रु०	पै०
	अनुरक्षण अनुदान लेखा	15,16,68,281.70		15,69,49,725.82	
2.	योजनागत विकास लेखा	2,28,69,179.60		1,40,54,214.63	
3.	विविध लेखा	43,70,782.68		2,68,79,875.79	
4.	भविष्य निधि लेखे				
	(I) भविष्य निधि लेखा (डी० यू० 40)	42,75,981.95		39,32,460.39	
	(II) अंशदायी भविष्य निधि लेखा (डी० यू० 109)	2,17,17,986.94		2,06,53,671.88	
	(III) सामान्य भविष्य निधि लेखा (डी० यू० 106)	70,02,960.32		68,84,237.26	
	(IV) सी० पी० एफ० लेखा जिसे वि० अनु० आ० को लौटाना है (डी० यू० 107)	12,85,025.34		12,896.00	
	(V) शिक्षा-विभाग सी० पी० एफ०/जी० पी० एफ० लेखा	18,03,341.12		18,20,177.40	
5.	मूल्यह्रास आरक्षित निधि लेखा (डी० यू० 216)	8,73,065.66		4,26,878.00	
6.	प्रकाशन निधि लेखा (डी० यू० 35)	14,451.62		5,000.00	
7.	कुलपति का छात्र-निधि लेखा	2,85,703.76		1,16,700.00	
8.	बन्दोबस्ती निधियों का लेखा	75,70,367.81		44,10,660.57	
9.	विज्ञान अवधान राशि लेखा (डी० यू० 70)	1,03,994.45		1,42,250.63	
10.	वाहन ऋण निधि लेखा (सी० एंड आई० 100)	2,79,044.70		3,40,142.00	
11.	पुस्तकालय जमा लेखा (सी० एण्ड आई० 140)	5,76,156.09		2,64,830.40	
12.	सी० एस० आई० आर० छात्रवृत्ति लेखा (सी० एण्ड आई० 99)	27,08,960.24		23,00,166.04	
13.	वि० अनु० आ० छात्रवृत्ति लेखा (सी० एण्ड आई० 131)	32,13,976.38		19,77,961.71	
14.	अनुसंधान योजना लेखा (सी० एण्ड आई० 248)	1,11,31,146.17		1,26,52,590.59	
15.	अन्य निकायों का छात्रवृत्ति लेखा (सी० एण्ड आई० 165)	10,75,776.60		8,99,088.41	
16.	कम्प्यूटर सेंटर लेखा (सी० एण्ड आई० 234)	59,71,991.34		34,27,140.24	
17.	गृह-निर्माण ऋण निधि लेखा (सी० एण्ड आई० 258)	1,22,35,671.99		75,19,090.50	
18.	प्रकाशन परिश्रमी निधि लेखा (सी० एण्ड आई० 264)	16,899.53		510.00	
19.	संगोष्ठियों, ग्रीष्मकालीन संस्थानों का लेखा (सी० एण्ड आई० 252)	22,81,379.91		17,59,720.74	
20.	समाज-कार्य विभाग अनुसंधान परियोजना-लेखा	2,86,478.00		2,42,932.57	
21.	समाज-कार्य विभाग (रा० सं० यो० लेखा)	15,07,865.50		10,70,819.79	
22.	प्रेषणाओं तथा जमाओं का लेखा (शिक्षा विभाग)	56,367.00		66,377.00	
23.	अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति लेखा (सी० एण्ड आई-152), शिक्षा विभाग	34,742.92		45,689.00	
24.	अंग्रेजी विभाग रायल्टी लेखा (सी० एण्ड आई०-282)	47,502.63		69,484.29	
25.	एशियाड-82 लेखा (सी० एण्ड आई०-288)	11,379.44		—	
26.	अनुसंधान परियोजनाएं (सी० एण्ड आई०-280)	3,65,211.18		2,11,203.32	
27.	दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी क्वार्टर लेखा (सी० एण्ड आई०-2-313)	82,38,178.10		84,58,635.54	
28.	विदेशी छात्रों का छात्रवृत्ति लेखा (नं० 4016)	2,35,699.30		2,27,087.75	
29.	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रौढ़ तथा अनुवर्ती शिक्षा लेखा (सी० एण्ड आई०-336)	12,43,985.73		8,37,810.25	
30.	हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय (सी० एण्ड आई०-309)	3,02,794.20		4,67,010.99	

क्रमांक	लेखे का नाम	प्राप्तियां		अदायगियां	
		रु०	पै०	रु०	पै०
31.	दिल्ली विश्वविद्यालय गृह-कर लेखा (सी० एण्ड आई० 357)	1,43,750.00		11,69,641.04	
32.	दिल्ली विश्वविद्यालय 'ओरिएंटल' इन्सेक्ट्स' की प्रकाशन निधि	15,210.35		—	
33.	जापान से विशेष अनुदान (सी० एण्ड आई० 361)	3,04,64,587.00		3,00,17,038.85	
34.	सामूहिक बीमा योजना लेखा (सी० एण्ड आई० 374)	30,35,465.95		28,25,043.20	
35.	अनुसंधान योजना लेखा (सी० एण्ड आई०–384)	9,27,000.00		36,357.70	
		31,02,48,343.20		31,31,75,120.29	

(पी० एम० सेन)
उपविस्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007

(आई० पी० सिंह)
वित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007

(जी० एन० पाठक)
कोषाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007

विवरण–पत्र सं० 4

दिल्ली विश्वविद्यालय

बैंकों में रोकड़ बाकी (रोकड़ खातों के अनुसार)

क्रमांक	लेखे का नाम	स्थिति 31–3–1985 को		स्थिति 31–3–1986 को	
1	2	3		4	
		रु०	पै०	रु०	पै०
1.	गैर योजनागत लेखे				
(i)	सामान्य निधि बचत बैंक लेखा (सी० एण्ड आई० 212)	86,51,067.78		27,96,766.75	
(ii)	अनुरक्षण अनुदान लेखा सं० 1	8,27,432.03		24,07,626.39	
(iii)	अनुरक्षण अनुदान लेखा सं० 2	8,46,276.79		(—) 2,28,391.38	
(iv)	साध्य विधि केन्द्र सं० 1 लेखा	1,62,260.62		2,05,197.21	
(v)	साध्य विधि केन्द्र सं० 2 लेखा	(—) 10,249.89		1,72,662.66	
(vi)	दक्षिण दिल्ली परिसर सामान्य निधि लेखा	4,39,274.94		1,16,879.70	
(vii)	समाज–कार्य विभाग लेखा	65,533.68		75,447.38	
(viii)	शिक्षा-विभाग लेखा	1,78,873.39		84,002.09	
(ix)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना लेखा (सी० एण्ड आई० 263)	80,029.24		—	
(x)	कालेजेतर महिला शिक्षा मंडल लेखा (सी० एण्ड आई० 326)	(—) 74,946.54		26,797.12	
(xi)	बाह्य छात्र कक्ष लेखा (सी० एण्ड आई० 325)	37,117.06		1,24,702.31	
	कुल रोकड़ बाकी–गैर योजनागत लेखों के अंतर्गत	1,12,02,669.10		57,81,690.23	
2. (i)	योजनागत विकास चालू खाता	4,90,592.88		82,36,985.39	
(ii)	योजनागत विकास बचत बैंक खाता	48,00,497.65		47,72,551.46	
(iii)	दक्षिण दिल्ली परिसर योजनागत लेखा	14,51,776.72		26,11,452.90	
(iv)	शिक्षा विभाग योजनागत लेखा	(—) 14,912.90		11,734.30	
(v)	समाज–कार्य विभाग योजनागत लेखा	1,761.88		1,761.88	
(vi)	योजनागत विकास लेखों के अंतर्गत कुल रोकड़ बाकी	67,29,716.23		1,56,34,485.93	

1	2	3		4	
		रु०	पै०	रु०	पै०
3.	(i) विविध चालू लेखा	6,30,908.84		4,63,560.39	
	(ii) विविध बचत बैंक लेखा (सी० एण्ड आई० 213)	2,23,76,007.32		1,78,710.40	
	विविध लेखों के अंतर्गत कुल रोकड़ बाकी	2,30,06,916.16		6,42,270.79	
4.	(i) भविष्य निधि लेखा (डी० यू०—40)	9,696.63		3,53,218.19	
	(ii) अंशदायी भविष्य निधि लेखा (डी० यू०—109)	(—) 2,14,031.31		8,50,283.75	
	(iii) सामान्य भविष्य निधि लेखा (डी० यू०—106)	2,85,877.64		4,04,600.70	
	(iv) सी० पी० एफ० लेखा जो वि० अनु० आ० को लौटाना है (डी० यू०—107)	9,67,869.72		22,39,999.06	
	(v) भविष्य निधि लेखा (शिक्षा-विभाग)	16,836.28		—	
5.	मूल्य ह्रास आरक्षित निधि लेखा (डी० यू० 216)	6,75,505.85		11,21,693.51	
6.	प्रकाशन निधि लेखा (डी० यू०—35)	51,101.43		60,553.05	
7.	कुलपति का छात्र—निधि लेखा	2,99,906.14		4,68,909.90	
8.	बंदोबस्त निधि लेखा	18,84,605.16		50,44,312.40	
9.	विज्ञान अवधान राशि लेखा (सी० एण्ड आई० 70)	16,113.53		(—) 22,142.65	
10.	बाह्य ऋण निधि लेखा (सी० एण्ड आई०—100)	98,257.37		37,160.07	
11.	पुस्तकालय जमा लेखा (सी० एण्ड आई० 140)	78,182.09		3,89,507.78	
12.	सी० एस० आई० आर० छात्रवृत्ति लेखा (डी० यू०—99)	5,55,547.41		9,64,341.61	
13.	यू० जी० सी० छात्रवृत्ति लेखा (डी० यू०—131)	3,00,665.32		15,27,679.99	
14.	अनुसंधान योजना लेखा (सी० एण्ड आई०—148)	47,47,943.39		31,36,498.97	
15.	अन्य निकायों का छात्रवृत्ति लेखा (सी० एण्ड आई०—165)	9,62,798.76		11,39,486.95	
16.	कम्प्यूटर केन्द्र लेखा (सी० एण्ड आई०—234)	1,98,208.32		27,43,059.42	
17.	गृह—निर्माण ऋण निधि लेखा (सी० एण्ड आई० 258)	44,05,722.64		91,22,304.13	
18.	प्रकाशन परिक्रामी निधि लेखा (सी० एण्ड आई० 264)	64,952.57		81,342.10	
19.	संगोष्ठी, ग्रीष्मकालीन संस्थान (सी० एण्ड आई० 252)	3,65,209.09		8,86,868.26	
20.	समाज—कार्य विभाग (अनुसंधान परियोजना लेखा)	9,228.90		52,774.33	
21.	समाज—कार्य विभाग (रा० से० यो०) लेखा	6,38,813.81		10,75,859.52	
22.	प्रेषण तथा जमा लेखा (शिक्षा-विभाग)	85,263.77		75,253.77	
23.	अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति लेखा (शिक्षा—विभाग) (सी० एण्ड आई०—152)	25,754.27		14,808.19	
24.	अंग्रेजी विभाग रायल्टी लेखा (सी० एण्ड आई०—282)	50,235.84		28,254.18	
25.	एशियाड 82 लेखा (सी० एण्ड आई० 288)	2,20,026.21		2,29,585.65	
26.	अनुसंधान परियोजना (सी० एण्ड आई०—280)	1,26,272.69		2,80,280.55	
27.	दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी क्वार्टर लेखा (सी० एण्ड आई०—313)	27,69,927.42		25,55,572.26	
28.	विदेशी छात्रों का छात्रवृत्ति लेखा (डी० यू०—4016)	72,229.45		80,841.00	
29.	केस सामग्री योजना (ई० एल० सी०—1) लेखा (बचत खाता सं० 12752)	75.00		75.00	
30.	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रौढ़ तथा अनुवर्ती शिक्षा लेखा (सी० एण्ड आई—336)	67,442.19		4,73,617.67	
31.	दिल्ली विश्वविद्यालय गृहकर लेखा (सी० एण्ड आई०—357)	57,50,000.00		47,24,108.96	

1	2	3		4	
		रु०	पै०	रु०	पै०
32.	दिल्ली विश्वविद्यालय—'ओरिएंटल इन्सेक्ट्स' का प्रकाशन निधि का लेखा	9,027.75		24,238.10	
33.	हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय (सी० एण्ड आई० 309)	2,64,275.44		1,00,058.65	
34.	जापान से मिले विशेष अनुदान का लेखा (सी० एण्ड आई०—361)	—		4,47,548.15	
35.	सामूहिक बीमा योजना लेखा (सी० एण्ड आई०—374)	—		2,10,422.75	
36.	अनुसंधान योजना लेखा (सी० एण्ड आई०—384)	—		8,90,642.30	
		6,67,98,842.26		6,38,72,065.17	

दिल्ली विश्वविद्यालय

टिप्पणियां

1. आंतर बैंक अंतरण

31—3—1986 की स्थिति के अनुसार 1985—86 के दौरान तथा इससे पहले के वर्षों में निम्नलिखित आंतर बैंक अंतरण असमायोजित पड़ रहे :

क्रमांक	मद से	मद को	राशि रु० में
1.	अनुरक्षण अनुदान लेखा	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस लेखा	15,85,000
2.	अनुरक्षण अनुदान लेखा	विविध लेखा	21,00,000
3.	अनुरक्षण अनुदान लेखा	सामूहिक बीमा योजना (सी० एण्ड आई० 374)	2,00,000
4.	विविध लेखा	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस लेखा	2,01,000
5.	(सी० एण्ड आई० 148)	सी० एण्ड आई०—336	1,50,000

2. रोकड़ बहियों में गलत वर्गीकरण का सुधार

रोकड़ बहियों में गलत वर्गीकरण के कारण 1985—86 के निम्नलिखित आंतर बैंक अंतरणों को 1986—87 में पूरा किया गया।

क्रमांक	मद से	मद को	राशि रुपयों में
1.	विविध लेखा	अनुरक्षण अनुदान लेखा	10,561.11
2.	योजनागत विकास लेखा	अनुरक्षण अनुदान लेखा	1,19,221.26
3.	स्टाफ क्वार्टर्स (सी एण्ड आई० 313)	अनुरक्षण अनुदान लेखा	922.88
4.	विविध	(सी० एण्ड आई० 131	9,000.00

(पी० एम० सेन)
उपवित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली—110007

(आई० पी० सिंह)
वित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली—110007

(बी० एन० पाठक)
कोषाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली—110007

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस

31 मार्च 1986 तक का तुलन-पत्र

स्थिति 31-3-1985 को	परिसंपत्तियां		स्थिति 31-3-1986
रुपए			रुपए
8,93,901	1. मशीनें, फर्नीचर तथा उपस्कर	19,28,916	
	घटाएं: मूल्यह्रास	10,85,199	8,43,717
2,92,036	2. कम्पोजिंग का सामान	727,998	
	घटाएं: मूल्यह्रास	4,44,996	2,83,002
11,15,008	3. प्राप्य राशि		10,88,895
	4. मौजूदा स्टाक		
95,791	(क) कच्चा माल		49,310
11,713	(ख) तैयार माल		11,080
1,56,600	5. कार्य जो चल रहा है (जिसका बिल नहीं काटा गया है)		1,39,435
1,000	6. स्थायी पेशगी		1,000
1,07,096	7. बैंक में रोकड़ बाकी		1,32,470
1,080	8. त्यौहार पेशगी		13,680
17,82,221	9. हानि (इकट्ठी हो गई)		19,73,037
44,56,446	जोड़		45,35,626
	1. अनुदान		
1,62,442	(क) वि० अ० आ० का विशेष अनुदान		1,62,442
9,08,764	(ख) एकपुश्त अनुदानों में से अनुदान		9,08,764
12,42,544	(ग) फोर्ड फाउंडेशन से प्राप्त अनुदान		12,42,544
	2. विविध लेनदार		
18,091	(क) अन्य विभागों से संबंधित प्राप्ति		32,728
733	वही		733
1,12,285	(ख) वेतन जिलों में से कटौती		1,11,471
2,82,865	(ग) देय बिल		1,93,697
	3. ऋण तथा पेशगियां		
17,722	(क) किए जाने वाले काम के लिए पेशगी		30,247
17,11,000	(ख) अंतरा बैंक अंतरण		18,51,000
—	(ग) बयाना		2,000
44,56,446	जोड़		45,35,626

लेखों पर टिप्पणियां

परिसंपत्तियां

क्रमांक 3 दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उसके विभागों को छोड़कर अन्य जिन लोगों का काम किया है उनसे प्राप्त होने वाली राशि 3,65,399.79 रु० है।

मनेजर	वित्त अधिकारी	कोषाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस	दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस विवरण पत्र सं० 6

वर्ष 1985–86 के लिए लाभ-हानि लेखा

क्रमांक	व्यय		1985–86 रुपए	1984–85 रुपए	आय		1985–86 रुपए	1984–85 रुपए
1.	मौजूदा स्टाक				1. प्राप्तियां			
	(क) कच्चा माल		95,791	1,62,184	(क) प्रिंटिंग तथा बाईंडिंग के बिल	2584368		
	(ख) तैयार माल		11,713	19,345				
2.	काम जो चल रहा है (जिसका बिल नहीं काटा गया है)		1,56,600	1,50,235	(ख) रद्दी कागज की बिक्री	27119		
					(ग) टेंडर फार्मों की बिक्री	755		
3.	(क) वेतन तथा भत्ते	16,45,220			(घ) रद्द किए गए चैक	592		
	(ख) समयोपरि कार्य का भत्ता	49,911			(ङ) एपरेंटिसों को प्रशिक्षण के के खर्चे	2084	2614918	2023685
	(ग) अवकाश यात्रा रिआयत	9,296						
	(घ) शिक्षा शुल्क	2,409			2. स्टाक बाकी			
	(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि	1,24,457			(क) कच्चा माल		49310	95791
	(च) सी० पी० एफ०	7,763			(ख) तैयार माल		11080	11713
	(छ) ई० एस० आई०	81,830			3. कार्य चल रहा है (जिसका बिल नहीं बना है)		139435	156600
	(ज) बोनस	71,474	19,92,360	17,30,943				
4.	कच्चे माल की खरीद		3,62,070	3,78,641	4. हानि		185111	447265
5.	विविध आनुषंगिक खर्चे		55,379	73,788				
6.	किराया, दरें तथा कर		3,813	15,987				
7.	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कराया गया कार्य		2,14,477	91,665				
8.	मूल्यह्रास							
	कम्पोजिंग का सामान		35,045					
	मशीनें		72,259	1,12,201				
9.	बैंक कमीशन		347	65				
			29,99,854	27,35,054			29,99,854	27,35,054

मैनेजर
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस

लाभ-हानि लेखे पर टिप्पणियां

1985–86 में कच्चे माल की खपत को बताते हुए विवरण नीचे दिया जा रहा है :

मदें	प्रारम्भिक शेष 1–4–1985	इस वर्ष खरीदा गया कच्चा माल: बिल की राशि चुकाई गई	घटाएं: जिस बिल की राशि चुकाई जानी है	जोड़ें: 31–3–86 को देय बिलों की राशि	जोड़	इस वर्ष में कच्चे माल की खपत हुई	31–3–86 को कच्चे माल का शेष स्टाक
1	2	3	4	5	6	7	8
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
कागज . .	80,300	4,30,969	1,78,413	39,090	2,91,646	3,37,421	34,525
बाईंडिंग का सामान .	11,320	49,224	24,303	16,179	41,100	47,071	5,349
मोनो स्पूल . .	—	4,654	—	10,058	14,712	8,212	6,500
स्नेहक . .	—	6,241	—	—	6,241	6,100	141
स्याही . .	4,171	16,116	11,298	3,553	8,371	9,747	2,795
जोड़ . .	95,791	5,07,204	2,14,014	68,880	3,62,070	4,08,551	49,310

मैनेजर
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस

वित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय

कोषाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय

विवरण–पत्र सं० 7

दिल्ली विश्वविद्यालय

प्राप्तियों तथा अदायगियों का सार तथा रोकड़ बाकी 1985–86

	रु०	पै०
1–4–1985 को रोकड़ बही के अनुसार प्रारंभिक शेष		1,07,095.97
जोड़ें: 1985–86 के दौरान प्राप्तियां जिनमें अस्थायी अंतरण भी शामिल हैं		33,13,715.90
घटाएं : वर्ष 1985–86 के दौरान अदायगियां जिनमें अस्थायी अंतरण भी शामिल हैं . . .		32,88,341.99
रोकड़ बही के अनुसार 31–3–1986 को अंतिम शेष		1,32,469.88

टिप्पणियां : (i) 14,85,000 रुपए की जो राशि पिछले वर्षों में अनुरक्षण अनुदान लेखे से अंतर्गत की गई थी उसका समायोजन नहीं हो पाया था। 1985–86 के दौरान 1,00,000 रु० की राशि और अंतरित कर दी गई। अत: 31–3–1986 तक 15,85,000 रुपए की राशि असमायोजित बनी रही।

(ii) पिछले वर्षों में विविध लेखों से अंतरित 1,61,000 रुपए की राशि असमायोजित बनी रही। 1985–86 के दौरान 1,20,000 रुपए की राशि और अंतरित की गई जिसमें से 80,000 रुपए उसी वर्ष में वापस कर दिए गए। अत: 2,01,000 रुपए की राशि 31–3–1986 तक असमायोजित बनी रही।

(पी० एम० सैन)
उपवित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007

(आई० पी० सिंह)
वित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007

(जी० एन० पाठक)
कोषाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007

लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र

मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे और तुलन–पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप में प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा विश्वविद्यालय की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखे और तुलन–पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

श्रीमा पाय्यकर 3–2–87
निदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व–1

नई दिल्ली
दिनांक : 3–2–87

वर्ष 1985–86 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

1. प्रस्तावना

दिल्ली विश्वविद्यालय की मुख्यत: ज्ञान की कई शाखाओं में अनुदेश तथा अनुसंधान का प्रावधान करने, डिग्री प्रदान करने तथा इस उद्देश्य के लिए संस्थाओं, संभागारों तथा महाविद्यालयों के अनुरक्षण तथा स्थापना करने के लिए मई 1922 में स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय का वित्तपोषण मुख्यत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि० अ० आ०) से प्राप्त अनुदानों द्वारा होता है। वर्ष 1985–86 के दौरान, संस्थान ने 1789.08 लाख रु० (योजनेत्तर के रूप में 1516.68 लाख रु० योजनागत के रूप में 228.69 लाख रु० और विविध लेखे में 43.71 लाख रु०) के अनुदान प्राप्त किए।

विश्वविद्यालय के वर्ष 1984–85 के वार्षिक लेखे में मुद्रणालय तथा विश्वविद्यालय के प्राप्ति तथा भुगतान लेखे के तार, विश्वविद्यालय के आय और व्यय लेखे, उसकी प्रैस के लाभ और हानि लेखे और विश्वविद्यालय तथा उसके मुद्रणालय के तुलन-पत्र सन्निहित है। तथापि विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित 18 संस्थाओं, संभागारों तथा महाविद्यालयों के संबंध में समेकित वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे और न ही विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे में समाविष्ट किए गए थे।

विश्वविद्यालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि विश्वविद्यालय के लेखे में अनुरक्षित संस्थाओं के लेखे सम्मिलित करना न तो संभव था और न ही वांछनीय था।

2. लेखे पर टिप्पणी

2.1 विश्वविद्यालय ने वर्ष 1985–86 के लिए अनुरक्षित 18 संस्थानों/संभागारों में से किसी के भी लेखे को समेकित और तैयार नहीं किया था क्योंकि इन संस्थाओं से सितम्बर 1986 तक भी लेखे प्राप्त नहीं हुए थे। जब ये लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाएंगे, इन समेकित लेखों को अलग से प्रमाणित किया जाएगा।

2.2 परिसंपत्तियों का मूल्यांकन तथा सत्यापन

तुलन–पत्र के अनुसार मार्च 1986 के अंत तक प्राप्त की गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 3234.58 लाख रु० का था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

	(लाख रु० में)
(1) भूमि	71.94
(2) भवन	1004.05
(3) फर्नीचर, उपस्कर, वाहन, विज्ञान उपकरण, सामयिकी	2157.46
(4) खेलकूद उपस्कर	00.78
	3234.23

तुलन–पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियों का यह मूल्य सत्यापन के योग्य नहीं था क्योंकि विश्वविद्यालय ने न तो कोई केन्द्रीयकृत परिसंपत्ति रजिस्टर अनुरक्षित किया था और न ही उसका 62 विभागों द्वारा अनुरक्षित स्टाक रजिस्टरों में दर्शाए गए मूल्यों के जोड़ के साथ मिलान किया था।

विभागीय स्टाक रजिस्टर में भी प्रविष्ट सभी परिसंपत्तियों के कुल प्रगामी मूल्य नहीं दर्शाए गए।

विश्वविद्यालय के संपदा अनुभाग में अनुरक्षित संपत्ति रजिस्टर में सभी भवनों के ब्यौरे प्रविष्ट किए जाने अपेक्षित थे लेकिन सभी भवनों की कुल लागत रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं की गई थी। तुलन-पत्र में दर्शाए गए 71.94 लाख रु० भूमि का मूल्य भी इस संपत्ति रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं किया गया था। वर्ष 1984-85 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने के तथ्य के बावजूद अपेक्षित प्रक्रिया के साथ इसको पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 1986) की इसी अनुपालना की गई थी और सत्यापन अगली लेखा परीक्षा के दौरान किया जा सकेगा।

2.3 अन्य जमा लेखे

तुलन-पत्र के देयता पक्ष की ओर "अन्य जमा लेखे" शीर्ष के अंतर्गत 20.36 लाख रु० की राशि दर्शाई गई थी। यह राशि वेतन बिलों से कटौतियों, जमाओं, अन्य निकायों/योजनाओं से प्राप्त अनुदानों और अन्य जमाओं से संबंधित लेख-देनों के निवल प्रभाव को निरूपित करती थी।

इस प्रकार के लेन-देन के लिए तैयार की गई आडशीट की समीक्षा से निम्न प्रकट हुआ :—

(1) इन शीर्षों के प्रति दर्शाए गए शेष 31 मार्च 1986 को निम्न थे :—

क्रम सं०	शीर्ष का नाम	31-3-86 को शेष रु०
1.	जमा	5,48,116.54
2.	अनुदान (—)	5,82,810.33
3.	अन्य योजनाएं	43,478.55
4.	अन्य जमा	21,04,158.22
5.	वेतन बिलों से कटौतियां (—)	77,384.48

सही लेखा क्रियाविधी, जिसका वर्ष 1984-85 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया गया था, के अनुसार भुगतान योग्य राशि तुलन-पत्र के देयता पक्ष में और वसूली राशि परिसंपत्ति पक्ष में दर्शायी जानी चाहिए। लेकिन "अनुदान" तथा "वेतन बिलों" से कटौतियों के उप-"शीर्षों" के अंतर्गत डेबिट शेषों को ऋणात्मक देयता के रूप में दर्शाया जा रहा था।

(2) आगे उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत शेषों को संबंधित खातों में दर्शाए गए शेषों के साथ सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि उन खातों में अद्यतन प्रविष्टियां नहीं की गई थी।

विश्वविद्यालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि वसूली योग्य राशि तुलन-पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में तथा भुगतान योग्य राशि देयता पक्ष में दर्शाने का लेखापरीक्षा का यह सुझाव व्यवहार्य नहीं था। तथापि विश्वविद्यालय अगले वर्ष तुलन-पत्र के साथ अन्य जमा के लिए अलग अनुसूचियां संलग्न तथा तैयार करने के लिए सहमत था।

2.4 मूल्यह्रास तथा अन्य आरक्षित निधियों का सृजन

तुलन-पत्र के अनुसार 31 मार्च 1986 को शेषों सहित विश्वविद्यालय निम्नलिखित आरक्षित निधियां अनुरक्षित कर रहा था:—

	(लाख रु० में)
(क) मूल्यह्रास आरक्षित निधि	43.23
(ख) अतिथि गृह	1.79
(ग) ढाका ग्राम भूमि का अनुरक्षण	00.52

चूंकि विश्वविद्यालय, वि० अ० आ० के माध्यम से केवल भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों द्वारा निधिबद्ध होता है इसलिए पहले से सृजित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास [निधि का सृजन [वि० अ० आ० से प्राप्त संस्वीकृति सं० एफ-4-II/80 (एन० पी०-I) दिनांक मई 1980 के अंतर्गत] करना न्यायसंगत नहीं था।

विश्वविद्यालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि ऊपर (ख) तथा (ग) में उल्लिखित निधियों के शेष वर्ष 1986-87 से अनुरक्षण अनुदानों में मिलाए जा रहे थे।

2.5 आडशीटों का अनुरक्षण न किया जाना

31 मार्च 1986 को तुलन-पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में निम्नलिखित अग्रिम दर्शाए गए :—

(1) अन्य अग्रिम	4,01,656
(2) वाहन ऋण	3,79,411
(3) गृह निर्माण ऋण	2,29,37,010

इन आंकड़ों की विशुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से प्रति प्राप्त होने वाले शेषों को दर्शाते हुए आडशीट पूर्ण नहीं थी। विश्वविद्यालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि वाहन तथा गृहनिर्माण अग्रिमों के आडशीट अद्यतन पूरे

कर लिए गए थे। अन्य पेशगियों के संबंध में, जिनमें अल्पकालिक अग्रिम शामिल थे। ब्राडशीट तैयार करने की ग्रावश्यकता नहीं थी और इन अग्रिमों से संबंधित वसूलियों पर वेतन बिल रजिस्टर के माध्यम से निगरानी रखी गई थी।

2.6 प्राप्त योग्य राशि

6,73,420 रु० की राशि तुलन-पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में प्राप्ति योग्य राशि के रूप में दर्शायी गई थी। यह राशि जिन विभागों/पार्टियों से प्राप्ति योग्य थी, वे निम्न थे :—

क्र० सं०	विभाग का नाम	31-3-1986 को प्राप्त योग्य राशि (रुपये)
1.	विद्यार्थियों के शुल्क	1,51,846.53
2.	संगणक केन्द्र-1620/II	3,713.77
3.	संगणक केन्द्र-360/44	2,44,754.35
4.	लाइसेंस शुल्क लाभांश, संपदा अनुभाग आदि	1,54,705.56
5.	दिल्ली विश्वविद्यालय खेलकूद परिषद्	31,710.50
6.	अतिथि गृह	44,657.31
7.	रायल्टी	42,032.36
		6,73,420.38

क्र० सं० 2 तथा 3 के सामने उल्लिखित मदों के अतिरिक्त इन सभी बकाया राशियों/का वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 1986) कि 2,02,534.88 रु० की राशि वर्ष 1986-87 के दौरान वसूल कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए सशक्त प्रयास किए जा रहे थे।

2.7 भविष्य निधि लेखा

तुलन-पत्र के देयता पक्ष में "भविष्य निधि लेखा" शीर्ष के अंतर्गत 1,389.45 रु० लाख का शेष दर्शाया गया था। इन आंकड़ों की विशुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि सभी व्यक्तिगत खातों के अंत शेषों में अंतर्विष्ट ब्राडशीटों के अंत शेष निकालना वर्ष 1978-79 से बकाया थे। वर्ष 1977-78 के अंत में व्यक्तिगत खाते के शेषों के जोड़ तथा लेखा आंकड़ों के बीच 1777.37 रु० का अंतर था। इस अंतर का वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ध्यान दिलाए जाने के बावजूद (सितम्बर 1986) समाधान नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि इन बकाया के निपटान के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया था।

2.8 बकाया अग्रिम

(क) संभरकों, विश्वविद्यालय विभागों आदि को दिए अग्रिम लेखे के अंतिम शीर्ष में प्रभारित किए गए थे लेकिन वे मार्च 1986 के अंत तक बकाया थे, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं० श्रेणी	पिछले वर्ष	1983-84	के दौरान दिए गए अग्रिम 1984-85	1985-86	जोड़
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1. भवन	4,43,457	7,12,600	32,809	7,99,850	19,88,716
2. फर्नीचर एवं उपस्कर	800	6,04,421	32,75,390	71,54,902	110,35,513
3. विज्ञान उपकरण	3,390	19,878	97,252	1,09,664	2,30,184
4. पुस्तकें एवं सामयिकी	—	—	19,051	3,126	22,177
5. वाहन	—	—	—	—	—
6. अनुसंधान योजनाएं, सेमिनार, अध्येतावृत्ति	11,43,340	12,72,945	17,27,152	27,58,239	69,01,675
7. अपने-अपने वर्षों के आय तथा व्यय लेखे में प्रभारित किए गए अन्य अग्रिम	3,08,219	1,90,145	2,78,584	20,36,423	28,13,372
जोड़	18,99,206	27,99,989	54,30,238	1,28,62,204	2,29,91,63

इन अग्रिमों का वित्तीय वर्ष, जिसमें वह दिया गया था, समाप्त होने से पहले समाशोधन तथा निपटान किया जाना अपेक्षित था। विश्वविद्यालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि इन बकाया अग्रिमों के समाशोधन के लिए सशक्त प्रयास किए गए थे और इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बकाया अग्रिमों को 229.92 लाख रु० से घटाकर 88.42 लाख रु० तक लाया गया था।

(ख) "भवन" शीर्ष के अंतर्गत पुराने मामलों की संवीक्षा से निम्न प्रकट हुआ :—

(1) सड़कों की मरम्मत के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली को अग्रिम भुगतान के रूप में दिसम्बर 1983 में विश्वविद्यालय अभियंता को 5,50,000 रु० अग्रिम दिया गया था लेकिन लेखे में यह राशि 5,59,000 रु० दर्शायी गई थी। विश्वविद्यालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि गलती का सुधार कर लिया गया था।

(2) विभाग के अनुरक्षण अनुदान में से सीमेंट की खरीद के लिए दिसम्बर 1978 में 1,05,000 रु० के अग्रिम का आहरण किया गया था।

(3) 31-5-1979, 11-6-1979 तथा 28-6-1979 में क्रमशः 32,000.00 रु०, 40,400.00 रु० तथा 16,400.00 रु० के अग्रिमों का आहरण करके निर्माण कार्य के लिए अपेक्षित इस्पात की खरीद के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण को दिए गए थे। यद्यपि विश्वविद्यालय के इंजीनियरी विभाग में अग्रिम के विस्तृत लेखे वित्त शाखा को सितम्बर 1980 में प्रस्तुत कर दिए लेकिन वित्त विभाग ने इसे समायोजित नहीं किया गया क्योंकि इसके साथ मूल बीजक/बिल संलग्न नहीं किए गए थे। इंजीनियरी विभाग ने जुलाई 1985 में उत्तर दिया कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण से बीजक/बिलों की दोहरी प्रतियां करने का प्रयास असफल रहा। यह अग्रिम अभी तक बकाया थे।

(4) एशियाई 1982 के निर्माण कार्य के लिए सीमेंट की खरीद तथा रेल भाड़ा, नगर निगम विभाग चुंगी, ढुलाई आदि के भुगतान के लिए दिसम्बर 1982 में 21,000 रु० के अग्रिम का आहरण किया गया था। इस अग्रिम के लेखे सितम्बर 1984 में उप-वित्त अधिकारी को पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए थे। डी-यू-एस-यू कार्यालय में पदों की खरीद के लिए दिसम्बर 1978 में 1500 रु० के अग्रिम का भी आहरण किया गया था। इन अग्रिमों को समायोजित करने की अंतिम कार्रवाई अभी की जानी थी।

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान विश्वविद्यालय मुद्रणालय को दिए गए "अग्रिम" शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित अग्रिम अभी तक बकाया थे :—

क्र० सं०	तारीख	प्रयोजन	राशि
1.	30-3-1984	डा० एस० आर० खन्ना द्वारा लिखित पुस्तक	29,000.00
2.	31-3-1984	डा० एस० एम० मिश्रांगी द्वारा लिखित पुस्तक	18,000.00
3.	31-3-1984	डा० (श्रीमती) वी० भल्ला द्वारा लिखित पुस्तक	17,000.00
		जोड़	64,000.00

(घ) "अनुसंधान योजना आदि" शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित अग्रिम अनुसंधान परियोजनाओं के लिए उपकरणों की खरीद बिजली लगाने आदि के लिए प्राइवेट पार्टियों को किए गए भुगतान को निरूपित करते हैं, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं०	अनुसंधान परियोजना का नाम	विभाग	अग्रिम राशि	संस्वीकृति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	टिशु संवर्धन (कल्चर) पर अध्ययन . .	वनस्पति विज्ञान	36,100.00	31-10-1980
2.	टिशु संवर्धन (कल्चर) पर अध्ययन . .	वनस्पति विज्ञान	30,000.00	24-12-1982
3.	बांस वनस्पति विज्ञान पर अध्ययन . .	वनस्पति विज्ञान	2,29,685.00	10-2-1984
	इन विभागों से अभी समायोजन कागज प्राप्त किए जाने थे।			
(III)				
1.	शरीर विज्ञान पर अध्ययन . . .	प्राणिविज्ञान	4,69,762.80	10-2-1984
2.	—वही—	—वही—	1,36,119.25	31-7-1982
3.	—वही—	—वही—	83,035.45	6-1-1983
4.	—वही—	—वही—	5,87,458.00	23-2-1983

ये अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक के पास क्रेडिट पत्र खोलकर दिल्ली विश्वविद्यालय शाखा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के लेखों में डेबिट किए गए उपकरणों की लागत को निरुपित करते हैं जिसके ब्यौरे ऊपर दिए गए हैं। इन विभागों से समायोजन कागज प्रतीक्षित थे।

विश्वविद्यालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि (ख) (1) के अतिरिक्त अग्रिमों के समस्त मामले वर्ष 1986–87 में समाशोधित/समायोजित कर लिए गए थे।

2.9 पूंजीगत निधि

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदान तथा स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्राप्त अनुदान के भाग के तुलन-पत्र के देयता पक्ष में "पूंजीगत निधि" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। सामान्यतः तुलन-पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में स्थायी परिसंपत्तियों के जोड़ का तुलन-पत्र के देयता पक्ष में दर्शाई गई पूंजीगत निधि के क्रेडिट में शेष के साथ मिलान होना चाहिए। वार्षिक लेखे अर्थात् तुलन-पत्र की जांच-परीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि पूंजीगत निधि तथा स्थायी परिसंपत्तियों के जोड़ के बीच 154.20 लाख रु० का अंतर था, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

पूंजीगत निधि (लाख रु० में)		स्थायी परिसंपत्तियां (रुपए)	
अनुदान	3342.33	भवन	1004.04
उपहार और दान	46.10	भूमि	71.94
		फर्नीचर और उपकरण	1145.80
		वाहन	12.89
		विज्ञान उपकरण	120.32
		पुस्तकें और सामयिकी	878.46
		खेलकूद उपकरण	0.78
जोड़	3388.43	जोड़	3234.23

इसको वर्ष 1984–85 के निरीक्षण प्रतिवेदनों में भी बताया गया था और विश्वविद्यालय ने बताया कि ये अन्तर पूंजीगत निधि में शामिल किए गए उपयुक्त सरकारी अनुदानों के कारण था जिसको भविष्य में तुलन-पत्र में अलग से दर्शाया जाएगा। ऐसा अब तक नहीं किया गया था।

विश्वविद्यालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि उनका तुलन-पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुसार तैयार किया गया था और इस फार्मेट में तुलन-पत्र में अप्रयुक्त अनुदानों को अलग दर्शाने का आदेश नहीं था।

3. विश्वविद्यालय मुद्रणालय

वर्ष 1971–72 से विश्वविद्यालय व्यापारिक तौर पर एक विभागीय मुद्रणालय चला रहा था। वर्ष 1985–86 तक संचित हानि निम्न प्रकार थी।

वर्ष	लाख रु० में
1979–80	8.18
1980–81	3.50
1981–82	6.92
1982–83	12.13
1983–84	12.82
1984–85	17.85
1985–86	19.73

यह हानि विश्वविद्यालय के अन्य लेखों से मुफ्त ब्याज ऋण प्राप्त करने से पूरी हो रही थी। वर्ष 1985–86 के अंत तक ऋण की स्थिति निम्न प्रकार थी :—

लेखा जिससे ऋण प्राप्त किया गया	राशि (लाख रु० में)
अनुरक्षण अनुदान	15.85
विविध अनुदान	2.01
विविध लेखे	0.65
	18.51

यह देखा गया था कि ऋण की राशि वर्ष 1984–85 में 13.08 लाख रु० से 17.11 लाख रु० तथा 1985–86 में 17.11 लाख रु० से 18.51 लाख रु० तक बढ़ गई थी। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वियन के लिए एक समिति जिसने मुद्रणालय के कार्यों को देखा और अपनी रिपोर्ट अगस्त 1983 में प्रस्तुत की थी अभी तक संघटित नहीं की गई थी।

विश्वविद्यालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि इस रिपोर्ट के कार्यान्वियन के लिए उच्च स्तरीय समिति जून 1985 में आरम्भ की गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट मार्च 1986 में प्रस्तुत की, जो परीक्षणाधीन थी।

4. 1.7 लाख रु० मूल्य के उपस्करों का उपयोग न होना :

आंकों वाइटने हाईड्रोलिक उपकरण

मार्च/मई 1985 में विश्वविद्यालय विज्ञान उपस्कर उपकरणिका केन्द्र (वि० वि० उ० के०) ने 1,18,282.60 रु० की कुल लागत पर एक हाईड्रोलिक उपकरण खरीदा और उसका 90 प्रतिशत अर्थात् 1,08,823.45 रु० का भुगतान कर दिया गया था। (मार्च 1985) इस उपकरण के संभरक ने सूचित किया (जुलाई 1985) कि यह मशीन विश्वविद्यालय विज्ञान उपकरणिका केन्द्र को अप्रैल 1985 में आपूर्ति की गई थी लेकिन इस उपकरण को चालू करने के लिए कोई कदम नहीं लिया गया था। संभरक ने अप्रैल 1986 यू० एस० आई० सी० से उपकरण को चालू करने के लिए दोबारा पूछा। एक वर्ष से अधिक विलंब के बाद यह उपकरण जून 1986 में चालू किया गया था। जिसके कारण निधियां अवरुद्ध रहीं। इस उपकरण के लिए कोई निर्गत रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया था।

विश्वविद्यालय ने संभरक द्वारा गलत आकार के कुछ पुर्जों को प्रतिस्थापित करने तथा उसके साथ खराब मशीन के प्रतिष्ठापन में विलम्ब करने का आरोप लगाया (दिसम्बर 1986) तथापि, निर्गत रजिस्टर खोला जाना तथा अनुरक्षित किया जाना बताया गया था।

5. कम्प्यूटर प्रणाली का अपर्याप्त बीमा

कम्प्यूटर केन्द्र के पास एक आई बी एम/360/44 कम्पयूटर था जो वर्ष 1971 में अधिष्ठापित किया गया था। यह कम्प्यूटर फोर्ड फाउंडेशन अनुदान में से खरीदा गया था और उसकी लागत 9,96,006.44 तथा 6,24,997.00 (प्रणाली की लागत को रुपए के रूप में) थी। 12.40 रु० प्रति डालर की दर से (10–3–1986 को विनिमय दर) समस्त लागत भारतीय मुद्रा में बदलने से कुल लागत 1,29,75,476.86 रु० आंकी गई।

कम्प्यूटर केन्द्र के अभिलेख की जांच परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दिसम्बर 1985 में कम्प्यूटर कक्ष काम्पलैक्स में अचानक आग लग जाने से कठोर माल संघटक तथा नरम माल संघटक पूरी तरह नष्ट हो गए थे। विभाग ने एक बीमा कंपनी के पास केवल 80,70,000 रु० की लागत पर भवन, कम्प्यूटर संयंत्र का वातानुकूलक कठोर माल तथा नरम माल सहित समस्त कम्पयूटर प्रणाली का बीमा किया था। बीमें की अवधि 21–9–1985 से 21–9–1986 तक थी।

इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं :—

(i) विभाग द्वारा बीमा पालिसी लेते समय कम्पयूटर की वास्तविक लागत अर्थात् कम्पयूटर के चालू मूल्य में कठोर माल तथा नरम माल की लागत को लेखे में नहीं लिया था और विभाग द्वारा कंपनी के पास दावा प्रस्तुत करते समय उस उपकरण की वास्तविक लागत 1,71,75,995.86 रु० निकाली गई जबकि समस्त उस उपकरण कम्प्यूटर प्रणाली का केवल 80,70,000 रु० में ही बीमा करवाया गया था। बाह्य और सहायक पुर्जों (कठोर माल) के साथ कम्प्यूटर प्रणाली

के लिए केवल 1,29,75,476.86 रु० का दावा किया गया था। कम्पयूटर के नरम पूर्जों के मूल्य को बीमा उद्देश्य के लिए लेखे में कभी नहीं लिया गया था।

(ii) प्रतिवर्ष बीमा पालिसी का नवीकरण करते समय प्रणाली के मूल्य में वृद्धि पर विचार नहीं किया गया था।

विश्वविद्यालय ने बताया (दिसम्बर 1986) कि यह कम्पयूटर फोर्ड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1971 में उपहार स्वरूप दिया गया था और बाद के वर्षों में उसका मूल्य काफी घट गया था। अब 72.70 लाख रु० की राशि में समसंयोजन कम्पयूटर पावर की एक नई कम्पयूटर प्रणाली खरीदना संभव था। इस प्रकार इस बीमाकृत राशि (80.70 लाख रु०) को अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

6. कम्पयूटर केन्द्र—बकाया बिल

दिल्ली विश्वविद्यालय के पास एक कम्प्यूटर था जिसका विश्वविद्यालय तथा अन्य प्राइवेट एजेंसियों द्वारा भुगतान के आधार पर उपयोग किया जा रहा था। कम्प्यूटर केन्द्र के अभिलेखों की जांच परीक्षा में यह प्रगट हुआ कि विभिन्न बाह्य एजेंसियों से 2,48,467.82 रु० की राशि वसूली योग्य थी (दिसम्बर 1985) उसका वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार था:—

वर्ष	360/44 रुपए	1620/11 रुपए	जोड़ रुपए
1970–71	—	150.00	150.00
1971–72	1781.93	—	1781.93
1972–73	16601.46	245.00	16846.46
1973–74	13281.12	75.00	13356.12
1974–75	26636.99	555.00	27191.99
1975–76	10631.80	—	10631.80
1976–77	10537.50	—	10537.50
1977–78	35142.43	761.00	35903.43
1978–79	32383.04	315.00	32698.04
1979–80	30662.91	135.00	30797.91
1980–81	32964.97	—	32964.97
1981–82	9059.41	264.00	9323.41
1982–83	2671.58	200.75	2872.33
1983–84	13431.83	106.50	13538.33
1984–85	84442.21	780.22	9222.43
1985–86	525.17	126.00	651.17
जोड़	244754.35	3713,47	248467.82

वर्ष 1984–85 के बकाया में जून तथा जलाई 1984 के बकाया बिलों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि उससे संबंधित अभिलेख केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास पड़े बताए गए थे।

श्रीमा पायुयकर 3–2–87
निदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व-1

नई दिल्ली
दिनांक :3–2–1987

CENTRAL BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

INDUSTRIAL RELATIONS & POLICY WING

Bombay-400 021, the 5th October 1987

No. CO : PRS : IRP : 87 : 1876/GSR.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Central Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Central Bank of India (Officers') Service Regulations 1979.

2. Short title and commencement :—(1) These regulations may be called the Central Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulatons 1979. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. The details of amendments are given in Annexure 1.

V. D. KULKARNI
General Manager (Prs. & Admn.)

ANNEXURE-I

CENTRAL BANK OF INDIA (OFFICERS') SERVICE REGULATIONS, 1979—AMENDMENT TO REGULATIONS

Regulation 5—Increment

The increment specified in the various scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the competent authority accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which it falls due.

(1) On and from 1-1-1985, provided that those Officers in junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III who reach the maximum of their pay scale shall be granted stagnation increments equivalent to the last increment for every five completed years of service after reaching the maximum in the respective scales, subject to a maximum of two such increments for Officers in Senior Management Grade Scale I and one such increment for officers in Middle Management Grade Scales II and III.

In case of those officers who have completed more than 5 years of service at the maximum of the respective scales the first such stagnation increment will be granted effective from the date on which it falls due or from 1st January 1985, whichever is later, but the second such increment shall be granted to those eligible not earlier than 1st January 1987.

(2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of CAIIB examination.

On and from 1-2-1984, provided that those officers who have reached the maximum of their pay scales, professional qualification allowance of Rs. 100 p.m. shall be granted for passing Part I of CAIIB examination after they complete one year at the maximum in the scale of pay and Rs. 200/- p.m. for passing both parts of CAIIB examination after they complete two years at the maximum in the scale of pay.

Regulation 22— House Rent Allowance

(2) On and from 1-2-1984, where an Officer is not provided with residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for house rent allowance being a sum equivalent to the excess of the actual rent paid by him for his residential accommodation over 10% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, such sum being subject to the following rates :

Where the place of work is in	HRA payable shall be
1	2
(i) Major 'A' class cities specified as such from time to time by the Board in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'.	17½% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 500/- p.m.
(ii) Area I not covered by item (i) above and Project Area Centres in Group 'B'.	15% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 400/- p.m.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above.	12 1/2 % of the basic pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m.
(iv) Area III	10% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 250/- p.m.

Note : House Rent Allowance as above shall be paid on production of rent receipts, except that an officer may claim house rent allowance on certificate basis at the above rates subject to maximum as under :

Major 'A' class cities and Project Area Centres in Group 'A'	Maximom Rs. 275/-
Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	Maximum Rs. 225/-
Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories.	Maximum Rs. 165/-
Area III	Rs. 110/- (fixed)

Regulation 23—Other Allowances

(iv) *Mid-academic Year Transfer Allowance*

On and from 1-1-1987, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he ren, provided that such allowance shall cease if all the has one or more children stuyding in school or college, in the former place, a mid-academic year transfer allowance of Rs. 150/- per month from the date he reports to the later place upto the end of the academic year in respect of all the children cease studyng at the former place.

(vi) *Officiating Allowance*

On and from 1-1-1985, if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 10% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250/- p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund and not for other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisaton takes effect.

(x) *Hill and Fuel Allowance*

On and from 1st January 1985, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a Hill and Fuel Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place

Places (1)	Rates (2)
Offices at altitudes of and over 1500 metres above mean Sea Level.	10% of pay subject to a maximum of Rs. 130/- p.m.
Offices at altitudes of and over 1000 metres but below 1500 meters above mean Sea Level.	8% of pay subject to a maximum of Rs. 100/- p.m.

Regulation 4—Medical Aid

(1)(b)(v) On and from 1-1-1987, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed

as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 75% in the case of an officer and 50% in the case of his family members.

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleuresy, Diphteria, Leprosy, Kidney Ailment.

Regulation 42—Tarnsfer Travelling Allowance etc.

(2) (ii) On and from 1-1-1987, if an officer eligible for full wagon avails of the facility of 'Container Service' by railways, he will be reimbursed actual charges for one container if he is in junior or Middle Management Grade and for two containers if he is in Senior or Top Management Grade. If the baggage is tarnsported by road between places connected by rail, the reimbursemnt will be limited to the actual freight charges against submission of bills subject to the cost not exceeding the cost of transport of the maximum permissible quantity by goods train. If there is no railway station or railway out-agency at the old or new place of posting, the officer will be paid the actual cost of transporting the baggage by road up to the nearest railway station or railway out-agency. If both the places do not have railway station out-agency the officer will be paid actual cost of transporting the baggage by road up to the stipulated weights by an approved transport operator.

(3) On and from 1-1-1987, an officer on transfer will be eligible to draw a lumpsum amount as indicated below for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage etc.

Grade	Lump sum
Top Management and Senior Management	Rs. 1500/-
Middle Management and Junior Management	Rs. 1000/-

Regulation 44—Leave Travel Concession :

(ii) On and from 1-1-1987, once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding one month at a time. For the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the availment of the leave travel concession commences shall be admissible.

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the Bank to remit the amount to the Fund.

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta, the 21st August 1987

No. 18-CWR(159)/87.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountant Regulation, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members the name of Shri T. S. Balakrishnan, 'Satyam' 12/161, Garodiya Nagar, Ghatkopar East, Bombay-400 077, Membership No. 629 with effect from 5th August 1987.

D. C. BHATTACHARYYA, Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 9th October 1987

No. N-15/13/13/2/82-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-10-1987 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954, shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of U.P. namely :

"The areas comprising of the Revenu village Sikandrabad, Tillbugampur, Jokabad, Gopalpur, Mandi Shyam Nagar, Pargana and Tehsil Sikandrabad of District Bulandshahar.'

No. N-15/13/4/1/85-P&D(2).—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-10-1987 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Himachal Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1977 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Himachal Pradesh namely :—

Name of Village/ Revenue Area	Had Bast No.	Tehsil	District
1. Barotiwalla	196	Kasauli	Solan
2. Bated	200	Kasauli	Solan
3. Boranwalla	201	Kasauli	Solan
4. Damowalla	197	Kasauli	Solan
5. Tipra	195	Kasauli	Solan
6. Kulhariwalla	193	Kasauli	Solan
7. Jhar Majri	215	Nalagarh	Solan
8. Kunjhal	216	Nalagarh	Solan
9. Katha	211	Nalagarh	Solan
10. Baddi Insustrial Estate	204	Nalagarh	Solan
11. Saraj Mojra Gujran	208	Nalagarh	Solan
12. Saraj Majra/ Labana	205	Nalagarh	Solan
13. Billanwali Labana	207	Nalagarh	Solan
14. Haripor Sandoli	206	Nalagarh	Solan
15. Sandoli	199	Nalagarh	Solan
16. Billanwali Gujaran	198	Nalagarh	Solan
17. Juddi Khurd	209	Nalagarh	Solan
18. Juddi Kalan	210	Nalagarh	Solan
19. Chack Jangi	203	Nalagarh	Solan
20. Landewall	202	Nalagarh	Solan
21. Kalyanpur	201	Nalagarh	Solan

HARBHAJAN SINGH,
Director (Plg. & Dev.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi-1100001, the 8th October 1987

NOTICE

No. 25-35/87-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	315476-C dtd. 12-9-80	Shri Kailash Chand Totuka	10,000/-
2.	503018-C dtd. 4-8-80	Smt. Meena Jha	10,000/-

No. 25-4/87-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the Payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	187865-P dt. 1-10-71	Sh. Amarjit Singh Wallia	5,000/-

No. 25-42/87-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original Policies :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	344489-P EA/58 10-6-78	Sh. Birendra Nath Sinha Roy.	10,000/-
2.	271203-C EA/58 4-1-80	Sh. Mihirkumar Bandyapadhayay	20,000/-

No. 25-16/86-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcuta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	290788-P 1-9-76	Sh. Dharam Vir	5,000/-

No 25-1/87-LI.—P.L.I. Policy particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policy in favour of the insurant. The public are hereby cautioned against dealing with the original Policy :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	61645-NM dtd. 30-4-82	Sh. Mahesh Chand	5,000/-

9th October 1987

NOTICE

No. 25-26/87-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmenal custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	334566-P, dt. 1-4-78	Sh. Darshan Kumar	5,000/-
2.	541228-C, dt. 13-10-84	Sh. Jagdish Chander Dogar	30,000/-

No 25-10/86-LI.—P.L.I. Policy particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policy in favour of the insurant. The public are hereby cautioned against dealing with the original policy :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	62943-NM, dtd. 30-4-82	Sh. K. Nainar	5,000/-

No. 25-7/87-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	428603-P, 23-12-80	Sh. V. Krishnudu	10,000/-

No. 25-25/87-LI.—P.L.I. Policy particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policy in favour of the insurant. The public are hereby cautioned against dealing with the original policy :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	L-135561	Sh. M. Brajamohan Singha	5,000/-

No. 25-45/87-LI.—P.L.I. Policy particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policy in favour of the insurant. The public are hereby cautioned aainst dealing with the original policy :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	337799-C, dt. 12-2-81	Sh. Rabindra Kumar Pattnaik	30,000/-

No. 25-14/87-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	146999-P, dt. 2-4-69	Sh. D. Nagaraja	2,000/-
2.	391345-C, dt. 5-12-81	Sh. B.P. Govindaiah	10,000/-

No. 19-106/86-LI.—P.L.I. Policy particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby fven that the pyament thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policy in favour of the insurans. The public are hereby cautioned against dealing with the original policy :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	129832-C dtd. 7-6-71	Sh. Mohindar Partap Rana	5000/-

JYOTSNA DIESH,
Director (PLI)

BOARD FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION

New Delhi, the 30th March 1987

No. 21(19)/BIFR/87.—Shri A. B. Sengupta, a permanent Officer of Selection Grade of Central Secretariat Service and a Director in the Banking Division of the Deptt. of Economic Affairs, is appointed as Director in the Board for Industrial and Financial Reconstruction with effect from the afternoon of the 27th February, 1987, until further orders.

S. C. TRIPATHI, Secy.

INDIAN AIRLINES

New Delhi, the 9th Octoer 1987

FIN/RULES/37/1845.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953), the Indian Airlines, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Airlines (*Employees other than Flying Crew and those in the Aircraft Engineering Department*) Service Regulations, 1959, namely :—

1. These regulations may be called the Indian Airlines (*Employees other than Flying Crew and those in the Aircraft Engineering Department*) Service (Amendment) Regulations, 1987.

2. They shall come into force with effect from 1st July 1986.

3. In the Indian Airlines (*Employees other than Flying Crew and those in the Aircraft Engineering Department*) Service Regulations, 1959 :—

(i) Regulation 122 as amended in 1977 shall be further amended to read as under :—

"122. Privilege Leave. An employee shall be eligible for 30 days Privilege Leave for every eleven months of service. This leave is cumulative upto 240 days".

(ii) Regulation 124 as amended in 1977, shall be further amended to read as under :—

"124. The carry over of leave thus worked out shall be restricted to 240 days and the balance of leave, if any, shall lapse unless the employee had made an application for the grant of leave and the same was refused before the expiry of the eleven months' period. In such cases the employee may be authorised to carry forward to the next leave period the full amount of leave assessed as above provided that the number of days of Privilege Leave carried over in excess of 240 days shall not exceed the period of leave applied for by him and refused in writing owing to exigencies of the Corporation's work".

(iii) Regulation 153, clause (2) sub-clause (a) as amended in 1980 shall be further amended to read as under :—

"(a) The leave salary which an employee is entitled to encash shall be limited to two hundred and forty days and shall be paid in one lump-sum as one time settlement".

FIN/RULES/37/1845.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953), the Indian Airlines, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Airlines (*Aircraft Engineering Department*) Service Regulations, 1959, namely :—

1. These regulations may be called the Indian Airlines (*Aircraft Engineering Department*) Service (Amendment) Regulations, 1987.

2. They shall come into force with effect from 1st July 1986.

3. In the Indian Airlines (*Aircraft Engineering Department*) Service Regulations, 1959 :—

(i) Regulation 122 as amended in 1977 shall be further amended to read as under :—

"122. Privilege Leave. An employee shall be eligible for 30 days Privilege Leave for every eleven months of service. This leave is cumulative upto 240 days".

(ii) Regulation 124 as amended in 1977, shall be further amended to read as under :—

"124. The carry over of leave thus worked out shall be restricted to 240 days and the balance of leave, if any, shall lapse unless the employee had made an application for the grant of leave and the same was refused before the expiry of the eleven months' period. In such cases the employee may be authorised to carry forward to the next leave period the full amount of leave assessed as above provided that the number of days of Privilege Leave carried over in excess of 240 days shall not exceed the period of leave applied for by him and refused in writing owing to exigencies of the Corporation's work"

(iii) Regulation 153, clause (2) sub-clause (a) as amended in 1980 shall be further amended to read as under :—

"(a) The leave salary which an employee is entitled to encash shall be limited to two hundred and forty days and shall be paid in one lump-sum as one time settlement".

FIN/RULES/37/1845.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953), the Indian Airlines, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Airlines (*Flying Crew*) Service Regulations, 1959, namely :—

1. These regulations may be called the Indian Airlines (*Flying Crew*) Service (Amendment) Regulations, 1987.

2. They shall come into force with effect from 1st July 1986.

3. In the Indian Airlines (*Flying Crew*) Service Regulations, 1959 :—

(i) Regulation 122 as amended in 1977 shall be further amended to read as under :—

"122. Privilege Leave. An employee shall be eligible for 30 days Privilege Leave for every eleven months of service. This leave is cumulative upto 240 days".

(ii) Regulation 124 as amended in 1977, shall be further amended to read as under :—

"124. The carry over of leave thus worked out shall be restricted to 240 days and the balance of leave, if any, shall lapse unless the employee had made an application for the grant of leave and the same was refused before the expiry of the eleven months' period. In such cases the employee may be authorised to carry forward to the next leave period the full amount of leave assessed as above provided that the number of days of Privilege Leave carried over in excess of 240 days shall not exceed the period of leave applied for by him and refused in writing owing to exigencies of the Corporation's work".

(iii) Regulation 153, clause (2) sub-clause (a) as amended in 1980 shall be further amended to read as under :—

"(a) The leave salary which an employee is entitled to encash shall be limited to two hundred and forty days and shall be paid in one lump-sum as one time settlement".

DAYA NARAIN
Secretary

UNIVERSITY OF DELHI

New Delhi-110001, the 25th September 1987

No. IA/36422—The annual accounts of the University of Delhi for the year 1985-86 alongwith the Audit Report thereon are hereby published for information as required under Section 39(2) of Delhi University Act, 1922 (Act VIII of 1922).

(Sd.) ILLEGIBLE
REGISTRAR.

STATEMENT—I

UNIVERSITY OF DELHI

Annual Accounts For the Year 1985-86

BALANCE SHEET OF THE UNIVERSITY OF DELHI AS ON 31.3.1986

As on 31-3-1985	Funds and liabilities	As on 31.3.1986	As on 31-3-1985	Assets	As on 31-3-1986
1	2	3	1	2	3
Rupees		Rupees	Rupees		Rupees
27,31,15,887	1. Grant	33,42,33,415	9,10,81,681	1. Buildings	10,04,04,777
45,93,747	2. Gifts & Donations	46,10,147	67,01,161	2. Land	71,93,810
12,06,27,032	3. Provident Fund Account	13,89,45,204	7,68,05,309	3. Furniture & Equipment	11,45,79,724
37,57,856	4. Depreciation Reserve Fund	43,23,229	10,55,654	4. Vehicles	12,88,714
1,52,101	5. Publication Fund Account	1,61,553	1,07,94,765	5. Science Apparatus	1,20,31,732
6,80,406	6. Vice-Chancellor's Students Fund A/c	8,49,410	7,81,88,814	6. Books & Periodicals	8,78,46,492
80,75,451	7. Computer centre 360/44	77,53,847	76,065	7. Sports Equipment & Trophies	77,901
1,43,47,625	8. Endowment Fund Account	1,46,79,282	7,11,462	8. Amount Receivable	6,73,420
4,10,975	9. Conveyance Loan Fund Account	4,16,571		9. PROVIDENT FUNDS	
1,57,125	10. Guest House	1,79,213	11,26,09,929	(a) Investments	11,74,23,929
71,895	11. Maintenance of Dhaka Village Land	52,015	69,50,855	(b) Interest receivable on Investments	1,76,73,175
2,18,92,158	12. House Building Loan Fond Account	3,20,59,314		10. OTHER INVESTMENTS	
1,39,953	13. Publication Revolving Fund Account	1,56,342			
2,05,236	14. Royalty (Deptt. of English) A/c	2,33,254	16,80,000	(a) Deprciation Reserve Fund	16,80,000
1,09,028	15. Publications of Oriental Inspects A/c	1,24,238	1,01,000	(b) Publication Fund	1,01,000
5,64,275	16. Hindi Medium emplementation Board A/c	8,50,058	3,80,500	(c) Vice-Chancellor's Students Fund	3,80,500
			1,24,63,020	(d) Endowment Funds	96,34,970
	LIABILITIES		89,817	(e) Department of Social Work	89,817
47,27,061	1. (a) Excess of Income over Expenditure	15,99,893	18,47,100	(f) Science Caution Money & Library Deposit	18,67,100
93,00,000	(b) Maintenance Grant Received in advance	1,00,33,000	69,70,000	(g) Computer Centre 360/44	43,70,000
			1,55,000	(h) Royalty (Deptt. of English) A/c	2,05,000
			70,00,000	(i) Plan Development A/c	33,67,500
19,51,092	2. Deposit Account of Science Caution Money and Library Deposit	22,44,161	75,000	(j) Publication Revolving Fund A/c	75,000
			40,00,000	(k) Const. of Staff Qtrs. Account	—

5—299 GI/87

1	2	3	1	2	3
Rupees		Rupees	Rupees		Rupees
9,35,012	3. Deposit Account of Contractor's Security	11,59,729	1,00,000	(l) Publication of Oriental Insects A/c	1,00,000
			3,00,000	(m) Hindi Medium Implementation Board A/c	7,50,000
15,83,950	4. Deposit Account of Scholarships	34,02,859			
72,27,610	5. Deposit Account of Research Schemes	69,44,361		11. ADVANCES & LOANS	
3,65,209	6. Deposit Account of Summer Instt. Seminars, Workshop/Colloquim etc.	8,86,868	52,875	(a) Permanent Advance . .	58,875
2,43,56,870	7. Other Deposit Account . .	20,35,556	1,61,224	(b) Other Advances . . .	4,01,656
5,58,488	8. Amount Payable . . .	12,51,825	65,000	(c) Loan to the University Press	65,000
020	9. Book Bank (Deptt. of Education)	020	3,12,718	(d) Conveyance Loan . .	3
6,38,814	10. N.S.S. Account (Deptt. of Social Work)	10,75,860	1,74,86,436	(e) House Building Loan . .	2,29,37,910
3,02,704	11. Suspense Account . . .	—	6,67,98,842	12. Cash at Banks . . .	6,38,72,065
67,442	12. Adult & Continuing Education A/c	3,23,617	16,46,000	13. University Press . . .	17,86,000
57,50,000	13. Property Tax Account . .	47,24,109	4,795	14. Deptt. of Social Work Security with D.E.S.U	4,795
—	14. Group Insurance Scheme Account	10,423			
50,66,65,022	TOTAL	57,53,19,373	50,66,65,022	TOTAL . . .	57,53,19,373

NOTES ON ACCOUNTS:

Assets: Sl. No. 11 (b) other advances.

This figure did not include the following advances charged to the respective final head of account. The adjustment of these advances are being watched through the registers of advances and the position of advances awaiting adjustments as on 31-3-1986 is also given categorywise:

Category	Previous Years	Advances paid during 1983-84	1984-85	1985-86	Total
	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees
1. Building	4,43,457	7,12,600	32,809	7,99,850	19,88,716
2. Furniture & Equipment	800	6,04,421	32,75,390	71,54,902	1,10,35,513
3. Science Apparatus	2,390	19,878	97,252	1,09,664	32,30,184
4. Books & Periodicals	—	—	19,051	3,126	22,177
5. Vehicles	—	—	—	—	—
6. Research Schemes, Seminars & Fellowships	11,43,340	12,72,945	17,27,152	27,58,239	69,01,675
7. Other advances, charged to Income & Expenditure account of the respective years	3,08,219	1,90,145	2,78,584	20,36,423	28,13,372
TOTAL:	18,99,206	27,99,989	54,30,238	1,28,62,204	2,29,91,637

Certified that the grants received by the University have been utilised for and on the purpose for which they were sanctioned and paid.

(P. M. SEN)
Deputy Finance Officer
University of Delhi
Delhi-110007.

(I. P. SINGH)
Finance Officer
University of Delhi
Delhi-110007.

(G.N. PATHAK)
Treasurer
University of Delhi
Delhi-110007.

UNIVERSITY OF DELHI

STATEMENT—II

Income and Expenditure Account for the year 1985-86

As on 31-3-1985	INCOME	As on 31-3-1986
Rs. Ps.		Rs. Ps.
	I. Non-Plan Account	
	A. MAINTENANCE GRANT ACCOUNT	
8,79,56,962·63	1. Grant excluding capitalised expenditure	10,23,06,039·63
1,00,75,451·15	2. Fees from Students	1,05,94,362·80
2,41,553·55	3. Health Centre Contribution	1,91,742·90
1,41,650·60	4. Sale of Publications	84,299·51
40,919·70	5. Reprographic Charges	28,697·84
11,278·20	6. Graphic Arts Centre	5,648·00
12,57,127·46	7. Licence Fee, Electricity, Water Charges etc. . . .	12,22,590·45
	8. Miscellaneous	
6,20,870·43	(a) Interest	8,14,814·54
6,88,213·28	(b) Other Items	11,74,214·26
10,10,34,027·00	TOTAL(I)	11,64,22,417·93

Rs. Ps.	II. PLAN DEVELOPMENT ACCOUNT	Rs. Ps.
	1. Grants excluding Non-Recurring Grants	
13,37,130·86	(a) Fifth Plan Schemes (Including South Delhi Campus) .	3,12,912·90
7,48,923·72	(b) Sixth Plan Schemes	6,80,000·00
19,11,227·61	(c) Centres of Advanced Studies & Research including spill over of Vth Plan . . .	70,000·00
—	(d) VIIth Plan Schemes	25,000·00
39,97,282·19	TOTAL (II)	10,87,912·90
10,50,31,309·19	TOTAL (I) & (II)	11,75,10,330·83
36,52,159·91	Excess of Expenditure over Income	39,64,024·22
10,86,83,469·10	GRAND TOTAL	12,14,74,355·05

UNIVERSITY OF DELHI

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 1985-86

Pay & Allowances 1984-85	Other Charges including amount payable 1984-85	Total	I. Non-Plan Expenditure	Pay & Allowances 1985-86	Other Charges including amount payable 1985-86	Total Expenditure
1	2	3	4	5	6	7
Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.	I. Non-Plan	Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.
			(a) Maintenance Grant Account			
84,92,935·06	39,67,130·09	1,24,60,065·15	1. General Administration	1,03,11,676·22	38,29,158·43	1,41,40,834·65
30,49,059·28	79,46,129·23	1,09,95,168·51	2. Office of the Controller of Examinations	34,15,373·15	91,49,277·13	1,25,64,650·28
1,37,57,400·37	13,25,864·19	1,50,83,264·56	3. Faculties of Arts & Social Sciences	1,53,20,379·38	13,74,555·45	1,66,94,934·83
1,20,28,070·36	33,63,615·22	1,53,91,685·50	4. Faculty of Science	1,44,11,497·75	31,22,960·16	1,75,34,457·91
40,73,739·89	2,01,603·41	42,75,343·30	5. Faculty of Law	44,19,216·48	1,58,557·35	45,77,773·83
8,22,904·20	72·25	8,22,976·45	6. Faculty of Music & Fine Arts	11,93,492·38	2,021·85	11,95,514·23
12,00,836·02	98,833·30	12,99,669·32	7. Faculty of Mathematics	15,94,191·54	1,18,405·96	17,12,597·50
1,61,626·24	2,75,524·30	4,37,150·54	8. Faculty of Medical Sciences & Technology	1,50,373·80	4,27,600·54	5,77,974·34
14,27,734·00	1,79,676·06	16,07,410·06	9. Faculty of Management Studies	17,02,637·24	1,38,049·82	18,40,687·06
22,35,454·03	3,62,324·88	25,97,778·91	10. Faculty of Education	23,98,226·66	3,20,150·94	27,18,377·60
25,41,809·64	9,74,833·53	35,16,643·17	11. South Delhi Campus	42,75,843·50	15,43,335·45	58,19,178·95
32,22,336·65	4,45,215·79	36,67,552·44	12. Delhi University Library System	50,83,312·55	6,83,787·04	57,67,099·59
2,50,793·51	24,522·32	2,75,315·83	13. Directorate of Hindi Medium Implementation Centre	3,03,788·59	21,890·85	3,25,679·44
4,29,086·08	37,15,425·59	41,44,513·67	14. Student's Facilities	6,33,601·06	41,75,596·95	48,09,198·01
13,78,646·75	75,75,642·50	89,54,289·25	15. Staff Benefits & Medical Reimbursement A/c (C&I-263)	16,92,087·38	1,23,03,000·95	1,39,95,088·33
—	4,57,306·94	4,57,306·94	16. Grants & Contribution	—	5,71,640·84	5,71,640·84
25,48,141·91	1,18,14,551·34	1,38,62,693·25	17. Works Maintenance & Repairs	33,83,911·00	77,53,031·67	1,11,36,942·67
6,70,938·21	—	6,70,938·21	18. Study Leave	5,52,244·75	—	5,52,244·75
4,61,485·37	14,47,482·38	19,08,967·75	19. Non-Collegiate Women's Education Board	5,76,930·96	11,23,958·11	17,00,889·07
63,140·25	33,612·52	96,752·77	20. Graphic Arts Centre	1,06,443·55	44,819·73	1,51,263·28
27,44,589·13	—	27,44,589·18	21. Financial Implications due to grant of Additional Dearness Allowance	4,99,894·64	—	4,99,894·64
6,15,60,728·95	4,37,09,365·84	10,52,70,094·79	Total	7,20,25,122·58	4,68,61,799·22	11,88,86,921·80

1	2	3	4	5	6	7
Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.		Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.
			II. Plan Development Grant A/c			
7,17,055·25	23,958·58	7,41,013·83				
			1. (a) Vth Plan Schemes including South Delhi Campus	15,141·95	96,850·58	1,11,992·53
5,88,515·51	8,17,038·61	14,05,554·12	(b) VI Plan Schemes	4,04,290·29	8,08,336·97	112,12,627·26
—	12,66,806·36	12,66,806·36	(c) Centre of Advanced Studies and Research including Spill Over of Vth Plan	—	12,39,319·13	12,39,319·13
			(d) VII Plan Schemes	19,853·33	3,641·00	23,494·33
13,05,570·76	21,07,803·55	34,13,374·31	Total—II	4,39,285·57	21,48,147·68	25,87,433·25
6,28,66,299·71	4,58,17,169·39	10,86,83,469·10	Total I & II	7,24,64,408·15	4,90,09,946·90	12,14,74,355·05
—	—	—	Excess of Income over expenditure			—
6,28,66,299·71	4,58,17,169·39	10,86,83,469·10	Grand Total			12,14,74,355·05

NOTES ON ACCOUNTS:

The expenditure during the year 1985-86 also includes advance charged to final heads of the account awaiting adjustment as on 31-3-1986 to exten tindicated below:—

1. Paid to the employee towards L.T.C.	Rs.	19,721·00
2. Paid to the Departments for incurring contingency expenditure etc.	Rs.	20,16,702·03
Total	Rs.	20,36,423·03

(P.M. SEN)
DY. FINANCE OFFICER
UNIVERSITY OF DELHI
DELHI-110007.

(I.P. SINGH)
FINANCE OFFICER
UNIVERSITY OF DELHI
DELHI-110007

(G.N. PATHAK)
TREASURER
UNIVERSITY OF DELHI
DELHI-110007.

STATEMENT No. 3.

Abstract of Receipts and Payments for the year 1985-86

Sr. No.	Name of the Account	Receipts	Payments
1	2	3	4
		Rs. Ps.	Rs. Ps.
1.	NON-PLAN ACCOUNT		
	Maintenance Grant Account	15,16,68,281·70	15,69,49,725·82
2.	Plan Development Account	2,28,69,179·60	1,40,54,214·63
3.	Miscellaneous Account	43,70,782·68	2,68,79,875·79
4.	Provident Fund Account		
	(i) Provident Fund Account (DU-40)	42,75,981·95	39,32,460·39
	(ii) Contributory Provident Fund Account (DU-109) . .	2,17,17,986·94	2,06,53,671·88
	(iii) General Provident Fund Account (DU-106) . .	70,02,960·32	68,84,237·26
	(iv) C.P.F. Account Refundable to the U.G.C. (DU-107) .	12,85,025·34	12,896·00
	(v) Department of Education CPF/GPF Account. . .	18,03,341·12	18,20,177·40
5.	Depreciation Reserve Fund Account (DU-216) . . .	8,73,065·66	4,26,878·00
6.	Publication Fund Account (DU-35)	14,451.62	5,000·00
7.	Vice-Chancellor's Students Fund Account	2,85,703·76	1,16,700·00
8.	Endowment Fund Account	75,70,367·81	44,10,660·57
9.	Science Caution Money Account (DU-70)	1,03,994·45	1,42,250·63
10.	Conveyance Loan Fund Account (C&I-100) . . .	2,79,044·70	3,40,142·00
11.	Library Deposit Account (C&I-140)	5,76,156·09	2,64,830·40
12.	C.S.I.R. Scholarships Account (C&I-99)	27,08,960·24	23,00,166·04

1	2	3	4
		Rs. P.	Rs. P.
13.	U.G.C. Scholarships Account (C&I-131)	32,13,976·38	19,77,961·71
14.	Research Schemes Account (C&I-148)	1,11,31,146·17	1,26,52,590·59
15.	Other Bodies Scholarships Account (C&I-165)	10,75,776·60	8,99,088·41
16.	Computer Centre Account (C&I-234)	59,71,991·34	34,27,140·24
17.	House Building Loan Fund Account (C&I-258)	1,22,35,671·99	75,19,090·50
18.	Publication Revolving Fund Account (C&I-264)	16,899·53	510·00
19.	Seminars Summer Institutes Account (C&I-252)	22,81,379·91	17,59,720·74
20.	Department of Social Work-Research Projects Account	2,86,478·00	2,42,932·57
21.	Department of Social Work (N.S.S.) Account.	15,07,865·50	10,70,819·79
22.	Remittances & Deposits Account (Deptt. of Education	56,367·00	66,377·00
23.	Fellowships/Scholarships A/c (C&I-152) Department of Education	34,742·92	45,689·00
24.	Royalty English Department Account (C&I—282)	47,502·63	69,484·29
25.	Asiad'82 Account (C&I-288)	11,379·44	—
26.	Research Projects (C&I-280)	3,65,211·18	2,11,203·32
27.	Delhi University Staff Quarters Account (C&I-313)	82,38,178·10	84,58,635·54
28.	Foreign Students Scholars Account (No. 4016)	2,35,699·30	2,27,087·75
29.	Delhi University Adult & Continuing Education Account (C&I-336)	12,41,985·73	8,37,810·25
30.	Directorate of Hindi Medium Implementation Board (C&I-309)	3,02,794·20	4,67,010·99
31.	Delhi University Property Tax Account (C&I-357)	1,43,750·00	11,69,641·04
32.	Delhi University Publication of Oriental Insects Fund (C&I-344)	15,210·35	—
33.	Special Grant from Japan Account (C&I-361)	3,04,64,587·00	3,00,18,038·85
34.	Group Insurance Scheme Account (C&I-374)	30,35,465·95	28,25,043·20
35.	Research Scheme Account (C&I-384)	9,27,000·00	36,357·70
		31,02,48,343·20	31,31,75,120·29

(P. M. Sen)
Dy. Finance Officer
University of Delhi
Delhi-110007

(I. P. Singh)
Finance Officer
University of Delhi
Delhi-110007

(G.N. Pathak)
Treasurer
University of Delhi
Delhi-110007.

UNIVERSITY OF DELHI

STATEMENT NO. 4

CASH AT BANKS (AS PER CASH BOOKS)

S. No.	Name of the Account	As on 31-3-1985	As on 31-3-1986
1	2	3	4
1.	NOX-PLAN ACCOUNTS	Rs. Ps.	Rs. Ps.
(i)	General Fund Saving Bank Account (C&I-212)	86,51,067·78	27,96,766·75
(ii)	Maintenance Grant Account No. I	8,27,432·03	24,07,626·39
(iii)	Maintenance Grant Account No. II	8,46,276·79	(—)2,28,391·38
(iv)	Evening Law Centre No. I Account	1,62,260·62	2,05,197·21
(v)	Evening Law Centre No. II Account	(—) 10,249·89	1,72,662·66
(vi)	South Delhi Campus General Fund Account.	4,39,274·94	1,16,879·70
(vii)	Department of Social Work Account	65,533·68	75,447·38
(viii)	Department of Education Account.	1,78,873·39	84,002·09
(ix)	Medical Reimbursement Schemes Account (C&I-263)	80,029·24	—
(x)	Non-Collegiate Women's Educational Board Account (C&I-326)	(—) 74,946·54	26,797·12
(xi)	External Candidate Cell Account (C&I-325)	37,117·06	1,24,702·31
	Total Cash Balance under Non-Plan Accounts.	1,12,02,669·10	57,81,690·23

1	2	3	4
		Rs. Ps.	Rs. Ps.
2.	(i) Plan Development Current Account.	4,90,592·88	82,36,985·39
	(ii) Plan Development Savings Bank Account (C&I-211)	48,00,497·65	47,72,551·46
	(iii) South Delhi Campus Plan Account	14,51,776·72	26,11,452·90
	(iv) Department of Education Plan Account	(—) 14,912·90	11,734·30
	(v) Department of Social Work Plan Account	1,761·88	1,761·88
	(vi) Total Cash Balance under Plan Development Accounts	67,29,716·23	1,56,34,485·93
3.	(i) Miscellaneous Current	6,30,908·84	4,63,560·39
	(ii) Miscellaneous Savings Bank Account (C&I-213)	2,23,76,007·32	1,78,710·40
	Total Cash Balance under Miscellaneous Accounts.	2,30,06,916·16	6,42,270·79
4.	(i) Provident Fund Account (DU-40)	9,696·63	3,53,218·19
	(ii) Contributory Provident Fund Account (DU-109)	(—)2,14,031·31	8,50,283·75
	(iii) General Provident Fund Account (DU-106)	2,85,877·64	4,04,600·70
	(iv) C.P.F. Account Refundable to U.G.C. (DU-107)	9,67,869·72	22,39,999·06
	(v) Provident Fund Account (Department of Education)	16,836·28	—
5.	Depreciation Reserve Fund Account (DU-216)	6,75,505·85	11,21,693·51
6.	Publication Fund Account (DU-35)	51,101·43	60,553·0
7.	Vice-Chancellor's Students Fund Account.	2,99,906·14	4,68,909·90
8.	Endowment Fund Account.	18,84,605·16	50,44,312·40
9.	Science Caution Money Account (C&I-70)	16,113·53	(—)22,142·65
10.	Conveyance Loan Fund Account (C&I-100)	98,257·37	37,160·07
11.	Library Deposit Account (C&I-140)	78,182·09	3,89,507·78
12.	C.S.I.R. Scholarship Account (D.U.-99)	5,55,547·41	9,64,341·61
13.	U.G.C. Scholarships Account (DU-131)	3,00,665·32	15,27,679·99
14.	Research Schemes Account (C&I-148)	47,47,943·39	31,36,498·97
15.	Other Bodies Scholarships Account (C&I-165)	9,62,798·76	11,39,486·95
16.	Computer Centres Account (C&I-234)	1,98,208·32	27,43,059·42
17.	House Building Loan Fund Account (C&I-258)	44,05,722·64	91,22,304·13
18.	Publication Revolving Fund Account (C&I-264)	64,952·57	81,342·10
19.	Seminar, Summer Institutes Account (C&I-252)	3,65,209·09	8,86,868·26
20.	Department of Social Work (Research Projects Account)	9,228·90	52,774·33
21.	Department of Social Work (N.S.S.) Account).	6,38,813·81	10,75,859·52
22.	Remittances and Deposit A/c (Department of Education)	85,263·77	75,253·77
23.	Fellowships/Scholarships A/c (Deptt. of Education) (C&I-152)	25,754·27	14,808·19
24.	Royalty Account Deptt. of English (C&I-282)	50,235·84	28,254·18
25.	Asiad'82 Account (C&I-288)	2,20,026·21	2,29,585·65
26.	Research Projects (C&I-280)	1,26,272·69	2,80,280·55
27.	Delhi University Staff Quarters Account (C&I-313)	27,69,927·42	25,55,572·26
28.	Foreign Student Scholarships Account (DU-4016)	72,229·45	80,841·00
29.	Case Material Scheme (E.L.C.-I) Account (S.B.A/c No. 12752)	75·00	75·00
30.	Delhi University Adult and Continuing Education Account (C&I-336)	67,442·19	4,73,617·67
31.	Delhi University Property Account (C&I-357)	57,50,000·00	47,24,108·96
32.	Delhi University Publication of Oriental Insects Fund Account (C&I-344)	9,027·75	24,238·10
33.	Directorate of Hindi Medium Implementation Board (C&I-309)	2,64,275·44	1,00,058·65
34.	Special Grant from Japan Account (C&I-361)	—	4,47,548·15
35.	Group Insurance Scheme Account (C&I-374)	—	2,10,422·75
36.	Research Schemes Account (C&I-384)	—	8,90,642·30
		6,67,98,842·26	6,38,72,065·17

UNIVERSITY OF DELHI

Notes:

1. INTER BANK TRANSFERS

As on 31-3-1986, the following inter bank transfer made during 1985-86 and earlier years remained unadjusted:

Sr. No.	From	To	Amount
			Rupees
1.	Maintenance Grant Account.	Delhi University Press Account.	15,85,000
2.	Do.	Miscellaneous Account.	21,00,000
3.	Do.	Group Insurance Scheme (C&I-374)	2,00,000
4.	Miscellaneous Account	Delhi University Press Account.	2,01,000
5.	C&I—148	C&I—336	1,50,000

UNIVERSITY OF DELHI

2. Rectification of Misclassifications in the Cash Books:

The following inter bank transfers due to misclassifications in the Cash Books relating to 1985-86 were required to be carried out during 1986-87.

S. No.	From	To	Amount
			Rupees
1.	Miscellaneous Account	Maintenance Grant Account	10,561·11
2.	Plan Development Account	Do.	1,19,221·26
3.	Staff Qtrs. (C&I-313)	Do.	922·88
4.	Miscellaneous	(C&I-131)	9,000·00

(P. M. SEN)
Dy. FINANCE OFFICER
UNIVERSITY OF DELHI
DELHI-7.

(I.P. SINGH)
FINANCE OFFICER
UNIVERSITY OF DELHI
DELHI-7.

(G.N. PATHAK)
TREASURER
UNIVERSITY OF DELHI
DELHI-7.

STATEMENT NO.—5

DELHI UNIVERSITY PRESS

Balance Sheet as on 31st March, 1986.

ASSETS

As on 31-3-1985				As on 31-3-1986
Rupees				Rupees
8,93,901	1. Machinery, Furniture & Equipments		19,28,916	
	Less Depreciation		10,85,199	8,43,717
2,92,036	2. Composing Materials		7,27,998	
	Less Depreciation		4,44,996	2,83,002
11,15,008	3. Amount Receivable			10,88,895
95,791	4. Stock in Hand	(a) Raw Materials		49,310
11,713		(b) Finished Goods		11,080
1,56,600	5. Work in Progress			1,39,435
1,000	6. Permanent Advance			1,000
1,07,096	7. Cash at Banks			1,32,470
1,080	8. Festival Advance			13,680
17,82,221	9. Loss (Accumulated)			19,73,037
44,56,446	TOTAL			45,35,626

LIABILITIES

	1. Grants:	
1,62,442	(a) UGC's Special Grant	1,62,442
9,08,764	(b) Grant out of Block Grants	9,08,764
12,42,544	(c) Grant from Ford Foundation	12,42,544
	2. Sundry Creditors :	
18,091	(a) Receipt relating to other departments	32,728
733	Do.	733
1,12,285	(b) Deductions from Salary Bills	1,11,741
2,82,865	(c) Bills Payable	1,93,697
	3. Loans & Advances:	
17,722	(a) Advance for work to be done	30,247
17,11,000	(b) Inter Bank Transfers	18,51,000
—	(c) Earnest Money	2,000
44,56,446	TOTAL	45,35,626

NOTES ON ACCOUNTS:

Assets;

S. No. 3 The amount of Rs. 3,65,399·79 receivable from the Indentors other than University and its Departments.

MANAGER
DELHI UNIVERSITY PRESS

FINANCE OFFICER
UNIVERSITY OF DELHI

TREASURER
UNIVERSITY OF DELHI

6—299 GI/17

STATEMENT—6

DELHI UNIVERSITY PRESS

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 1985-86

S. No.	Expenditure	1985-86 Rupees		1984-85 Rupees	Income		1985-86 Rupees		1984-85 Rupees
1.	Opening Stock:				1. Receipts				
	(a) Raw Material		95,791	1,62,184	(a) Ptg. and Bld. Bills	2584368			
	(b) Finished Goods		11,713	19,345	(b) Sale of Waste Paper	27119			
					(c) Sale of Tender Forms	755			
					(d) Cancelled Cheques	592			
2.	Work in progress (not Billed for)		1,56,600	1,50,235	(e) Apprentics training Charges	2084	2614918		2023685
3.	Pay and Allowances:	16,45,220							
	(b) O.T.A.	49,911							
	(c) L.T.C.	9,296							
	(d) Tution Fee	2,409			2. Closing Stock:				
	(e) E.P.F.	1,24,457			(a) Raw Materials		49310		95791
	(f) C.P.F.	7,763			(b) Finished Goods		11080		11713
	(g) E.S.I.	81,830							
	(h) Bonus	71,474	19,92,360	17,30,943					
4.	Purchase of Raw Material		3,62,070	3,78,641	3. Work in progress (but not Billed for)		139435		156600
5.	Misc. Cont. Expenditure		55,379	73,788					
6.	Rent, Rates & Taxes		3,813	15,987	4. Loss		185111		447265
7.	Work done through outside agencies		21,14,477						
8.	Depreciation:								
	Composing Material		35,045						
	Machinery		72,259	1,12,201					
9.	Bank Charges		347	65					
			29,99,854	27,35,054				29,99,854	27,35,054

MANAGER
DELHI UNIVERSITY PRESS

DELHI UNIVERSITY PRESS

NOTES ON PROFIT AND LOSS ACCOUNT :

A STATEMENT SHOWING CONSUMPTION OF RAW MATERIALS IS GIVEN BELOW FOR THE YEAR 1985-86

Items	Opening Balance As on 1-4-1985	Raw materials purchased during the year				Raw materials consumed during the year	Closing stock of Raw Materials as on 31-3-1986
		Bill paid for	Less bill paid for	Add Bills payable as on 31-3-1986	Total		
Paper	80,300	4,30,969	1,78,413	39,090	2,91,646	3,37,421	34,525
Binding Materials	11,320	49,224	24,303	16,179	41,100	47,071	5,349
Mono Spools	—	4,654	—	10,058	14,712	8,212	6,500
Lubricants	—	6,241	—	—	6,241	6,100	141
	4,171	16,116	11,298	3,553	8,371	9,747	2,795
	95,791	5,07,204	2,14,014	68,880	3,62,070	4,08,551	49,310

MANAGER
DELHI UNIVERSITY OFFICER

FINANCE OFFICER
UNIVERSITY OF DELHI

TREASURER
UNIVERSITY OF DELHI

UNIVERSITY OF DELHI

STATEMENT NO. 7

Abstract of Receipt & Payment and Cash Balance—1985-86

			Rs. Ps.
	Opening Balance as per Cash Book as on 1-4-1985	—	1,07,095·97
Add:	Receipt during the year 1985-86 including Temporary Transfer	—	33,13,715·90
Less:	Payments during the year 1985-86 including Temporary Transfer	—	32,88,341·99
	Closing Balance as per Cash Book	—	1,32,469·88

Notes: (i) The amount of Rs. 14,85,000 transferred from the Maintenance Grant Account during earlier years remained unadjusted. A further transfer of funds was made to the extent Rs. 1,00,000 during 1985-86. Hence an amount of Rs. 15,85,000 remained unadjusted on 31-3-1986.

(ii) The amount of Rs. 1,61,000 transferred from Miscellaneous Account during earlier years remained unadjusted. A further transfer of Rs. 1,20,000 was made during 1985-86 out of which Rs. 80,000 was repaid in the same year. Hence amount of Rs. 2,01,000 remained unadjusted as on 31-3-1986.

(P. M. SEN)
Dy. Finance Officer
University of Delhi
Delhi-110007.

(I. P. SINGH)
Finance Officer
University of Delhi
Delhi-110007

(G.N. PATHAK)
Treasurer
University of Delhi
Delhi-110007

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Accounts and Balance Sheet of the University of Delhi, for the year ending 31st March, 1986. I have obtained all the information and explanation that I have required and, subject to the observations in the appended Audit Report, I certify as a result of my audit that in my opinion these accounts and the Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Delhi University according to the best of my information and explanation given to me and as shown in the books of the University.

New Delhi,
the 6-1-1987

Sd/-
Director of Audit-I,
Central Revenues.

Audit Report on the accounts of the University of Delhi for the year 1985-86.

1. Introductory

The University of Delhi was established in May 1922 mainly to provide for instructions and research in several branches of learning and to award degrees and, for that purpose, to establish and maintain Colleges, Halls and Institutions. The University is financed mainly by grants from the University Grants Commission (U.G.C.) During the year 1985-86, the Institute received Rs. 1789·08 lakhs as grant (Rs. 1516·68 lakhs as Non-Plan Rs. 228·69 lakhs as Plan and Rs. 43·71 lakhs on Miscellaneous Account).

The annual accounts of the University for the year 1985-86 comprise Abstracts of Receipts and Payment of the University and its Press, Income and Expenditure Accounts of the University, Profit and loss Account of its Press and the Balance Sheets of University and its Press. The consolidated annual accounts for the year in respect of 18 Institutions, Halls and Colleges maintained by the University, however, were not prepared and incorporated in the annual accounts of the University.

The University stated (December, 1986) that it was neither feasible nor desirable to incorporate accounts of maintained institutions in the account of University proper.

2. Comments on accounts

2·1 The University had not prepared and consolidated the accounts of any of the 18 maintained Institutions /Halls for the year 1985-86 as accounts from these institutions had not been received even upto September 1986. When submitted to audit these consolidated accounts will be certified separately.

2·2 Valuation and Verification of Assets

The total value of assets acquired upto the end of Mardh, 1986 as per balance sheet aggregated to Rs. 3234·58 lakhs as shown below:—

	Rupees in lakhs
(1) Land	71·94
(2) Building	1004·05
(3) Furniture Equipment Vehicles, Science-Apparatus Periodicals	2157·46
(4) Sports equipments*q*	00·78
Total	3234·23

The value of assets in the balance sheet was not verifiable as the University had neither maintained any centralised Assets Register nor agreed it with total of their values in the stock Registers maintained in the 62 departments.

The departmental stock registers also did not contain progressive total cost of the assets entered therein.

The details of all buildings were required to be entered in the Property Register maintained in the Estate Section of the University but the total cost of all buildings were not posted in the Register. Land costing Rs. 71·94 lakhs, as shown in the Balance Sheet, was not found entered in the Property Register. Despite the fact, that this lapse was pointed out in the Audit Report for 1984-85, no steps had been taken to comply with the procedural requirements. The University replied (December 1986) that the compliance had since been made and verification could be done during next audit.

2·3 Other Deposit Accounts

A sum of Rs. 20·36 lakhs was shown on the liability side of the balance sheet under the head 'Other Deposit Account'. The amount represented the net effect of the transactions relating to deductions from salary bills, deposits, grants from other bodies/schemes and other deposits, etc.

A scrutiny of broad sheet prepared for such transaction revealed as under:—

(1) The balances as on 31st March 1986 against these heads were as under:—

Sl. No.	Name of Head	Balances as on 31-3-86
		(Rupees)
1.	Deposits	5,48,116·54
2.	Grants	(—)5,82,810·33
3.	Other Scheme	43,478·55
4.	Other Deposits	21,04,158·22
5.	Deduction from salary bills	(—)77,384·48

As per the correct accounting procedure, a reference to which was also made in the Audit Report for 1984-85, amounts payable should be shown on the liability side and the amounts recoverable on the asset side of the balance sheet. But the debit balances under the sub-heads 'Grants' and 'Deductions from salary bills' continued to be shown as minus liability.

(b) Further, the balances under the heads cited above could not be verified with those shown in the respective ledgers as the ledgers were not posted up-to-date.

The University stated (December 1986) that the suggestion of audit to show the amount payable on the liabilities side and the amount recoverable on the assets side of the Balance Sheet was not practicable. The University, however, agreed to prepare and attach separate schedules for other deposit with the Balance Sheet from next year.

2·4 Creation of Depreciation and Other Reserve Funds

As per Balance Sheet the University was maintaining the following Reserve Funds with their balances as on 31st March 1986 as under:—

		Rupees in lakhs
(a)	Depreciation Reserve Fund	43·23
(b)	Guest House	1·79
(c)	Maintenance of Dhaka Village Land	00·52

As the University is solely funded by the grants-in-aid from the Government of India through U.G.C., the creation of Depreciation Funds [Under Sanction No. F4-11/80(NP-I) dt. May 80 from the UGC] for assets already created was not justifiable.

The University stated (December 1986) that the balances of funds mentioned at (b) and (c) above were being merged in the maintenance grant with effect from 1986-87.

2·5 Non-maintenance of Broad Sheets

The following advances appeared on the asset side of the balance sheet as on 31st March 1986:—

(1)	Other Advances	Rs.	4,01,656
(2)	Conveyance Loan	Rs.	3,79,411
(3*q*)	House Building Loan	Rs.	2,29,37,010

The correctness of these figures could not be verified as the broad sheets showing the balances due against each individual were not complete. The University stated (December 1986) that the broadsheets for conveyance and House Building Advances had been completed up-to-date. In regard to other Advances which included short term advances, there was no need to prepare a broad sheet for them and that recoveries in respect of these advances were watched through the Pay Bills Register.

2·6 Amounts Receivable

A sum of Rs. 6,73,420 had been shown as amount receivable on the asset side of the balance sheet. The departments/parties from which the amount were receivable were as under:—

Sl. No.	Name of the Department	Amount Receivable as on 31-3-1986
		(Rupees)
1.	Fees from Students	1,51,846·53
2.	Computer Centre 1620/II	3,713·77
3.	Computer Centre-360/44	2,44,754·35
4.	Licence fee, Dividend etc. Estate Section	1,54,705·56
5.	Delhi University Sports Council	31,710·50
6.	Guest House	44,657·31
7.	Royalty	42,032·36
		6,73,420·38

Year-wise break-up of all these outstanding dues except for items mentioned against S. Nos. 2 and 3 was not available. The University replied (December 1986) that an amount of Rs. 2,02,534·88 had been recovered during 1986-87 and that vigorous efforts were being made to recover the balance amount.

2·7 Provident Fund Account

The balance of Rs. 1,389·45 lakhs had been shown under the head 'Provident Fund Accounts' on the liability side of the balance sheet. The correctness of the figures could not be verified as the closing of broad-sheet, containing closing balances of all individual accounts, was in arrears since 1978-79. There was a difference of Rs. 1777·37 between the account figures and the total of balances in individual accounts at the end of 1977-78. This differences had not so far (September 1986) been reconciled despite the fact having been pointed out in the audit report for 1982-83, 1983-84 and 1984-85. The University stated (December 1986) that a Special Cell had been created to clear the arrears.

2·8 Outstanding Advances

(a) The details of advances paid to suppliers, University Departments etc. and charged to final head of accounts but outstanding at the end of March 1986 were as given below:—

Sl. No.	Category	Previous Year	1983-84	Advances paid during 1984-85	1985-86	Total
		Rupees	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees
1.	Building	4,43,457	7,12,600	32,809	7,99,850	19,88,716
2.	Furniture & Equipment	800	6,04,421	32,75,390	71,54,902	1,10,35,513
3.	Science Apparatus	3,390	19,878	97,252	1,09,664	2,30,184
4.	Books & Periodicals	—	—	19,051	3,126	22,177
5.	Vehicles	—	—	—	—	—
6.	Research Schemes, Seminars & Fellowships	11,43,340	12,72,945	17,27,152	27,58,239	69,01,675
7.	Other Advances charged to Income & expenditure account of the respective years	3,08,219	1,90,145	2,78,584	20,36,423	28,13,372
	Total	18,99,206	27,99,989	54,30,238	1,28,62,204	2,29,91,637

These advances were required to be settled/cleared before the close of the financial year in which they were given. The University stated (December, 1986) that vigorous efforts were on to settle the outstanding advances and as a result of these efforts, the outstanding had been brought down to Rs. 88·42 lakhs from Rs. 229·92 lakhs.

(b) A scrutiny of the old cases under the head 'Building' revealed as under:—

(i) An advance of Rs. 5,50,000 was paid to the University Engineer in December, 1983 on account of advance payment to the CPWD, New Delhi towards repairs of roads but in the accounts it was shown Rs. 5,59,000. The University stated (December 1986) that the mistake had been rectified.

(ii) An advance of Rs. 1,05,000 was drawn in December 1978 for purchase of Cement out of Maintenance Grant of the Department.

(iii) Advances amounting to Rs. 32,000·00, Rs. 40,400·00 and Rs. 16,400·00 were drawn on 31-5-1979, 11-6-1979 and 28-6-1979 respectively and were paid to Steel Authority of India for the purchase of steel required for a construction work. Though the Engineering Department of the University rendered detailed account of advances to the Finance Branch in September 1980, the latter did not adjust it as the original invoices/bills were not found attached with it. Engineering Department replied in July 1985 that efforts to obtain duplicate copies of invoices/bills from Steel Authority of India had failed. The advances were still outstanding.

(iv) An advance of Rs. 21,000 was drawn in December 1982 for payment of Railway freight, MCD Octroi, cartage etc. for the cement purchased for Asiad 1982 work. The account of this advance had already been rendered to the Deputy Finance Officer in September 1984. An advance of Rs. 1500 was also drawn in December 1978 for purchase of curtains in DUSU Office. Final action to adjust the advance was still to be taken.

(c) The following advances under the head "Advances" given to University Press during the year 1983-84 were still outstanding:—

Sl. No.	Date	Purpose	Amount
1.	30-3-84	Book written by Dr. S.R. Khanna	29,000·00
2.	31-3-84	Book written by Dr. S.M. Jhiangee	18,000·00
3.	31-3-84	Book written by Dr. (Mrs.) V. Bhalla	17,000·00
		Total	64,000·00

(d) The following advances under the head "Research Scheme etc." representing payments made in advance in favour of private company were given for the purchase of equipment for research projects, electrification, etc. as detailed below:—

Sl. No.	Name of the Research Project	Department	Amount of Advance	Date of Sanction
1	2	3	4	5
1.	Study on Tissue Culture	Botany	36,100·00	31-10-80
2.	Study on Tissue Culture	Botany	30,000·00	24-12-82
(ii)	Study on Bamboos Botany	Botany	2,29,685·00	10-2-84
	Adjustment papers were still to be received from the Departments.			
(iii)	1. Studies on Physiology	Zoology	4,69,762·80	10-2-84
	2. Do.	Do.	1,36,119·25	31-7-82
	3. Do.	Do.	83,035·45	6-1-83
	4. Do.	Do.	5,87,458·00	23-2-83

These advances presented the cost of the equipment debited in the accounts of Delhi University by State Bank of India Delhi University Branch by opening letter of credit with Reserve Bank of India as detailed above. Adjustment papers were awaited from the department.

The University stated (December 1986) that all the cases of advances except (b)(i) had been settled/adjusted in 1986-87.

2·9 Capital Fund

Grants received for specific purposes and any portion of the grants received from the Government for the acquisition of fixed assets should be shown under head 'Capital Fund' on the liability side of the balance sheet. Normally, the total of the fixed assets on the asset side of the balance sheet should agree with the balance at the credit of Capital Fund shown on the liability side of the Balance sheet. During test check of the annual accounts, i.e. Balance Sheet, it was noticed that there was a difference of Rs. 154·20 lakhs between the totals of Capital Fund and the fixed assets as detailed below:—

Capital Fund (Rupees in lakhs)		Fixed assets (Rupees)	
Grants	3342·33	Building	1004·04
		Land	71·94
Gifts and donations	46·10	Furniture and Equipments	1145·80
		Vehicles	12·89
		Science Apparatus	120·32
		Books and Periodicals	878·46
		Sports Equipments	0·78
Total	3388·43		3234·23

This was also pointed out in the Inspection Report for the year 1984-85 and the University stated that this difference was due to unutilised Government grants having been included in the Capital Fund which would be shown separately in the Balance Sheet in future. This had not yet been done.

The University stated (December 86) that their Balance Sheet was prepared according to the format prescribed by the U.G.C. and this format did not enjoin to show unutilised grants separately in the Balance Sheet.

3. University Press

The University had been running a printing press departmentally on Commercial lines from 1971-72. The cumulative less incurred upto 1985-86 was as under:—

Year	Rupees in lakhs
1979-80	8·18
1980-81	3·50
1981-82	6·92
1982-83	12·13
1983-84	12·82
1984-85	17·85
1985-86	19·73

Such losses were being met by obtaining interest free loans from other accounts of the University. The position of loans at the end of 1985-86 was as under:—

Account from which loan was obtained	Amount Rupees in lakhs
Maintenance Grant	15·85
Miscellaneous Grant	2·01
Miscellaneous Accounts	0·65
	18·51

It was seen that the amount of loan increased from Rs. 13·08 lakhs to Rs. 17·11 lakhs in 1984-85 from Rs. 17·11 lakhs to Rs. 18·51 lakhs in 1985-86. A committee for implementation of the report of a high powered committee, which had gone into the working of the press, and which had submitted its report in August, 1983 had not yet been constituted.

The University stated (December 1986) that a Committee for implementation of the report of high powered committee was set up in June 1985 and submitted its report in March 1986 which was under examination.

4. Non-utilisation of equipment worth Rs. 1·7 lakhs

Arco Whitney Hydraulic Equipment

University Science Instrumentation Centre (USIC) purchased the Hydraulic equipment at a total cost of Rs. 1,18,282·60 in March/May 1985 and 90% of payment of Rs. 1,08,823·45 was made (March, 1985). The supplier of the equipment intimated (July 1985) that the machines were supplied to USIC in April, 1985 but no step regarding commissioning of the equipment was taken. The supplier again asked the USIC April 1986 to arrange for the commissioning of equipment. The equipment was commissioned in June 1986 after a delay of more than one year leading to blockage of funds. No output register was maintained for the equipment.

The University attributed (December, 1986) the delay in replacement of some components of wrong sizes by suppliers and installation of lathe machine alongwith it. Output Register was, however, stated to have been opened and maintained.

5. Inadequate insurance of the Computer System

Computer Centre was having an IBM/360/44 Computer which was installed in 1971. The Computer was purchased out of Ford Foundation grant and its cost was $ 9,96,006·44 and $ 6,24,997·00 (as rupee component of the cost of the system). Converting the entire cost into Indian rupees @Rs. 12·40 per dollar (conversion rate as on 10-3-1986), the cost worked out to Rs. 1,29,75,476·86.

During the test check of record of the Computer Centre, it was noticed that a fire had broken out in computer room complex in December 1985 which completely destroyed the hardware components as well as software components. The department had insured the entire computer system including, building, air-conditioning of computer plant, hardware and software at a cost of Rs. 80,70,000 only with an Insurance Company. The period of insurance was from 21-9-1985 to 21-9-1986.

In this connection the following observations are made:—

(i) While taking the insurance policy the actual cost of the computer i.e. the current prevailing price of the computer viz. cost of hardware and software, were not taken into account by the department and the entire computer system was insured only for Rs. 80,70,000 while the actual cost of the equipment was worked out to Rs. 1,71,75,995·86 at the time of preferring the claim with the Insurance Company by the Department. And the value of computer system with peripherals and accessories (Hardware) claimed was Rs. 1,29,75,476·86 only. The value of computer software was never taken into account for insurance purpose.

(ii) The enhancement in value of the system was not kept in view while renewing the insurance policy every year.

The University stated (December 1986) that the computer was gifted by the Ford Foundation in 1971 and over years, its value had depreciated considerably. It was now possible to purchase a new computer system with equivalent computer power within an amount of Rs. 72·70 lakhs. Hence the amount insured (Rs. 80·70 lakhs) could not be said as inadequate.

6. Computer Centre-outstanding Bills

Delhi University had a Computer which was being utilised by the University as well as by other private agencies on payment basis. A test check of the records of Computer Centre revealed that a sum of Rs. 2,48,467·82 was recoverable from various outside agencies (December 1985). The year-wise break-up of which was as under:—

Year	360/44 Rupees	1620/II Rupees	Total Rupees
1970-71	—	150·00	150·00
1971-72	1781·93	—	1781·93
1972-73	16601·46	245·00	16846·46
1973-74	13281·12	75·00	13356·12
1974-75	26636·99	555·00	27191·99
1975-76	10631·80	—	10631·80
1976-77	10537·50	—	10537·50
1977-78	35142·43	761·00	35903·43
1978-79	32383·04	315·00	32698·04
1979-80	30662·91	135·00	30797·91
1980-81	32964·97	—	32964·97
1981-82	9059·41	264·00	9323·41
1982-83	2671·58	200·75	2872·33
1983-84	13431·83	106·50	13538·33
1984-85	8442·21	780·22	9222·43
1985-86	525·17	126·00	651·17
Total:—	244754·35	3713·47	248467·82

The outstanding for the year 1984-85 did not include bills outstanding for the month of June and July 1984 as the relevant record was stated to be with the C.B.I.

New Delhi,
the 6-1-1987

Sd/-
Director of Audit-I
Central Revenues

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987